खण्ड-422, अंक-1
मंगलवार, 7 माघ, शक संवत् 1919
(27 जनवरी, 1998 ई0)

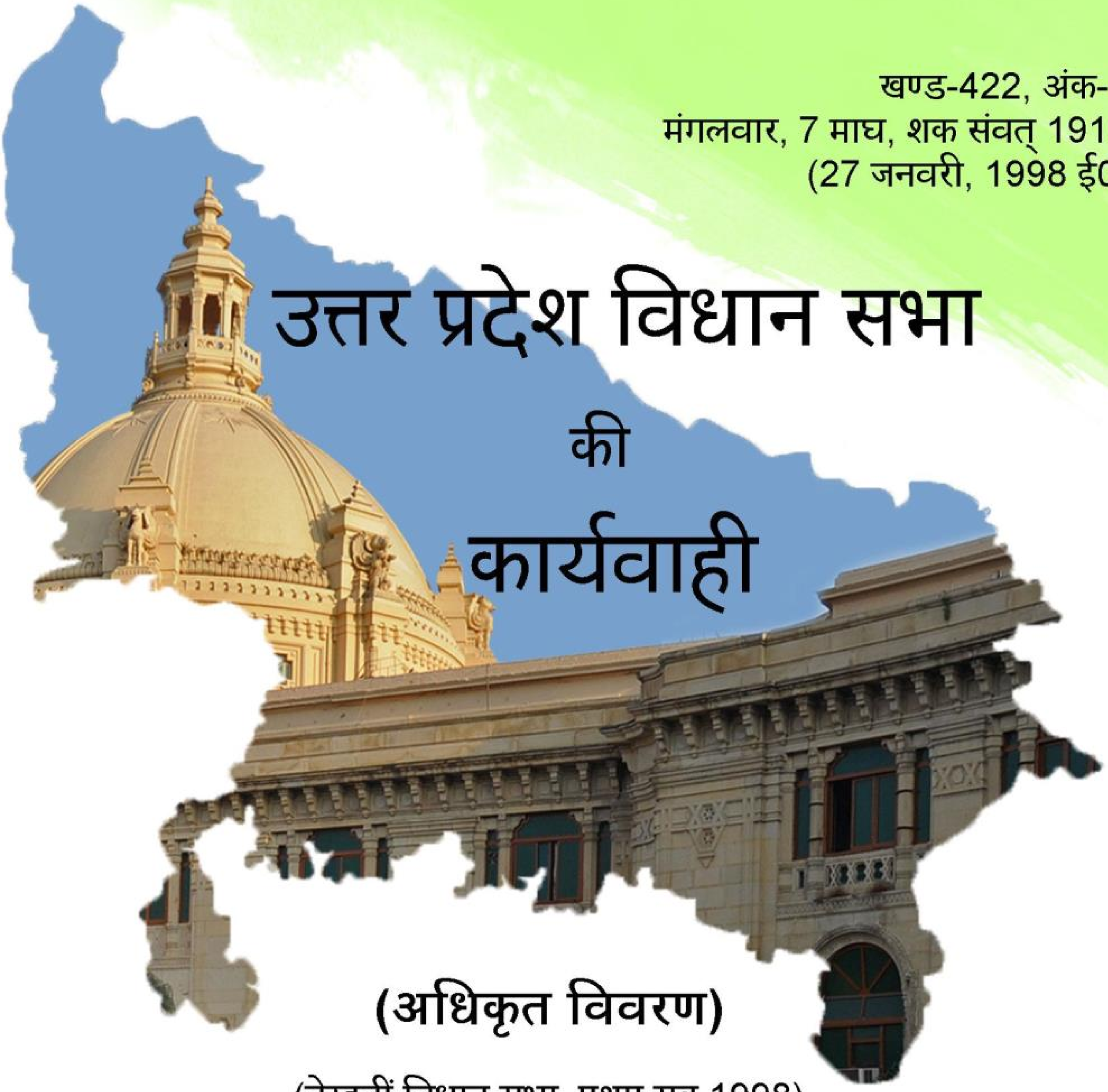

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1998)

खण्ड 422 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची ... ... ... | क–ड |
| उपस्थित सदस्य ... ... | ण–त |
| राष्ट्रीय-गीत ... ... | 1 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ | 1–25 |
| उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया) ... | 25 |
| उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया) ... | 25 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया) ... ... ... | 25 |
| उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया) | 25 |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 (पटल पर रखा गया) ... ... ... | 25 |
| उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (पटल पर रखा गया) ... | 25 |
| उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक, 1997 में किये गये त्रुटियों के संशोधनों का विवरण (पटल पर रखा गया) ... ... | 26 |
| उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक, 1997 (अधिनियम बन गया) ... | 26 |
| श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ... | 26 |
| कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... | 26-27 |
| श्री हरी किशन द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिये जाने की सूचना | 28 |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित) | 28 |
| उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित) ... | 28 |
| उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित) ... | 28-29 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित) ... | 29 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित) | 29 |
| उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 (पुरःस्थापित) ... | 29-30 |
| वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... | 30 |
| वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के मांगों का विवरण (प्रस्तुत) | 30 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

| | |
|---|---|
| 1–अकबर हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| 2–अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच |
| 3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| 4–अजय कुमार पोइया, श्री | मथुरा |
| 5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री | गोण्डा |
| 6–अजय भट्ट, श्री | अल्मोड़ा |
| 7–अजय राय, श्री | वाराणसी |
| 8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री | सीतापुर |
| 9–अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| 10–अतुल कुमार, श्री | मेरठ |
| 11–अनिल कुमार, श्री | बलिया |
| 12–अनीस खां, श्री | पीलीभीत |
| 13–अफजाल अंसारी, श्री | गाजीपुर |
| 14–अफजाल अहमद, श्री | जौनपुर |
| 15–अफरोज अली खां, श्री | रामपुर |
| 16–अब्दुल कलाम, श्री | बस्ती |
| 17–अब्दुल कलाम, श्री | वाराणसी |
| 18–अब्दुल खालिक, श्री | अलीगढ़ |
| 19–अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| 20–अमर मणि, श्री | महराजगंज |
| 21–अमित अग्रवाल, श्री | मेरठ |
| 22–अमीर आलम खान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 23–अम्बरीष कुमार, श्री | हरिद्वार |
| 24–अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| 25–अम्मार रिजवी, डा० | सीतापुर |
| 26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| 27–अरविन्द कुमार जैन, श्री | ललितपुर |
| 28–अरविन्द गिरि, श्री | खीरी |
| 29–अरिमर्दन सिंह, श्री | महोबा |
| 30–अरुण प्रताप सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| 31–अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच |
| 32–अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| 33–अशफाक अहमद, श्री | बरेली |
| 34–अशोक कुमार, श्री | जौनपुर |
| 35–अशोक कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| 36–अशोक बाजपेई, डा० | हरदोई |
| 37–अशोक यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| 38–आनन्द प्रकाश, श्री | पडरौना |
| 39–आर० के० चौधरी, श्री | लखनऊ |
| 40–आर० के० सिंह पटेल, श्री | बांदा |
| 41–आलमबदी, श्री | आजमगढ़ |
| 42–इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| 43–इन्द्रजीत सरोज, श्री | इलाहाबाद |
| 44–इन्द्रदेव, श्री | बिजनौर |
| 45–इल्म सिंह, श्री | सहारनपुर |
| 46–उदय राज यादव, श्री | उन्नाव |
| 47–उमाकान्त यादव, श्री | जौनपुर |
| 48–उर्मिला देवी, श्रीमती | मैनपुरी |
| 49–उवैदुर्रहमान, श्री | गोण्डा |
| 50–ओइमूवेश, स्वामी | बिजनौर |
| 51–ओंकार सिंह, श्री | एटा |
| 52–ओमकार सिंह, श्री | बदायूं |
| 53–ओम प्रकाश, श्री | एटा |
| 54–ओम प्रकाश, श्री | गाजीपुर |
| 55–ओम प्रकाश गुप्त, श्री | सीतापुर |
| 56–ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| 57–ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| 58–कमला प्रसाद रावत, श्री | बाराबंकी |
| 59–कल्याण सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| 60–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री | सहारनपुर |

61–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
62–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
63–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
64–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
65–किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
66–कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
67–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री — पिथौरागढ़
68–कृष्णा राज, श्रीमती — खीरी
69–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
70–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
71–केशो मेहरा, श्री — आगरा
72–के० सी० सिंह, "बाबा" — उधम सिंह नगर
73–कैलाश, श्री — गाजीपुर
74–कैलाश सिंह राजपूत, श्री — फर्रुखाबाद
75–कौकब हमीद, श्री — मेरठ
76–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
77–कौशल किशोर, डा० — खीरी
78–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
79–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
80–गंगा सिंह चौहान, श्री — हरदोई
81–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — मेरठ
82–गणेश, श्री — गाजीपुर
83–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
84–गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
85–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
86–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
87–गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
88–गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री — लखनऊ
89–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
90–चन्द्र नाथ सिंह, श्री — प्रतापगढ़
91–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
92–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
93–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
94–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
95–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
96–छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
97–छोटे लाल, श्री — हरदोई
98–छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
99–छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
100–छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
101–जगत पाल सिंह, मेजर — मुरादाबाद
102–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
103–जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री — जौनपुर
104–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
105–जटा शंकर, श्री — बहराइच
106–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
107–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
108–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
109–जय प्रकाश, श्री — गाजियाबाद
110–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
111–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
112–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
113–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया — गोरखपुर
114–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
115–ज्ञान चन्द, श्री — उत्तरकाशी
116–ज्ञानवती सिंह, डा० — अलीगढ़
117–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
118–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
119–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
120–तिलकराज बेहड़, श्री — उधम सिंह नगर
121–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
122–तोताराम, श्री — मुरादाबाद
123–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
124–दद्दू प्रसाद, श्री — बांदा
125–दयाशंकर, श्री — जालौन
126–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
127–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
128–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
129–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
130–दीपक कुमार, श्री — उन्नाव

131–दीप लाल भारतीय, श्री — पडरौना
132–दुर्गा प्रसाद, श्री — आजमगढ़
133–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
134–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
135–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
136–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
137–धर्मज्ञ मिश्र, श्री — हरदोई
138–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
139–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
140–नन्दराम, श्री — बरेली
141–नरेन्द्र, श्री — आजमगढ़
142–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
143–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
144–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
145–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
146–नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
147–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
148–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
149–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
150–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
151–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
152–नेतराम सिंह, श्री — एटा
153–पटेल राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
154–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
155–परवेज हलीम खां, श्री — मेरठ
156–पारसनाथ यादव, श्री — जौनपुर
157–पीटर फैन्थम, श्री — नाम निर्देशित सदस्य
158–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
159–पूरन सिंह, बुन्देला, श्री — ललितपुर
160–पूर्णमासी पंकज, श्री — भदोही
161–प्रदीप कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
162–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
163–प्रभु नारायन सिंह यादव, श्री — वाराणसी
164–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
165–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
166–प्रेम प्रकाश, श्री — देवरिया
167–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
168–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
169–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
170–फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
171–फागू, श्री — मऊ
172–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
173–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
174–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
175–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
176–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
177–बनारसी दास चान्दना, श्री — मेरठ
178–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
179–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
180–बाबू खां, श्री — हरदोई
181–बाबू राम, श्री — जालौन
182–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
183–बाबू लाल, श्री — आगरा
184–बाबू लाल, श्री — उन्नाव
185–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
186–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
187–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
188–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
189–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
190–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
191–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
192–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
193–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
194–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
195–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
196–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
197–भरत सिंह, श्री — बलिया
198–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
199–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
200–भीम प्रसाद, श्री — अम्बेडकर नगर
201–भोनू, श्री — गाजीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

202–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
203–मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
204–मंजू, श्रीमती — बलिया
205–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
206–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
207–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
208–मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़
209–मस्तराम, श्री — उन्नाव
210–महाराज सिंह यादव, श्री — इटावा
211–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
212–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
213–महेन्द्र कुमार, श्री — सीतापुर
214–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
215–महेन्द्र पाल निषाद, श्री — बांदा
216–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
217–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
218–मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
219–माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
220–मायावती, सुश्री — सहारनपुर
221–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
222–मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
223–मिथलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
224–मुख्तार अन्सारी, श्री — मऊ
225–मुन्ना चौहान, श्री — देहरादून
226–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
227–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
228–मुराद लारी, श्री — देवरिया
229–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
230–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
231–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
232–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
233–मोती लाल, श्री — खीरी
234–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री — गढ़वाल
235–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थनगर
236–यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
237–यशवंत, श्री — आजमगढ़
238–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
239–योगेन्द्र सिंह, श्री — देवरिया
240–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
241–रंग बहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
242–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री — अल्मोड़ा
243–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
244–रघुवर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
245–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
246–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
247–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
248–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — गढ़वाल
249–रमेश राही, श्री — सीतापुर
250–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
251–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
252–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
253–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
254–राकेश धर त्रिपाठी. श्री — इलाहाबाद
255–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
256–राजधारी, श्री — बलिया
257–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
258–राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
259–राज राय सिंह, श्रीमती — पीलीभीत
260–राजा गजनफ्फर अली खां, श्री — बिजनौर
261–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
262–राजा राम पाल, श्री — कानपुर देहात
263–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
264–राजेन्द्र, श्री — गाजीपुर
265–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
266–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
267–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
268–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
269–राजेश कुमार सिंह, श्री — मुरादाबाद
270–राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात

271–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
272–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
273–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
274–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
275–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
276–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
277–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
278–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
279–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
280–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
281–राम चन्द्र मौर्य, श्री बदायूं
282–रामजग, श्री आजमगढ़
283–रामतेज यादव, एडवोकेट बहराइच
284–रामदेव आचार्य, श्री बाराबंकी
285–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
286–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
287–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
288–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
289–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
290–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
291–रामपाल सिंह, श्री गोण्डा
292–राम प्यारे, श्री आजमगढ़
293–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
294–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
295–राम बाबू हरित, श्री आगरा
296–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
297–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
298–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
299–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
300–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
301–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
302–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
303–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
304–राम सिंह, डा० अलीगढ़
205–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
307–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
308–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
309–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
310–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
311–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
312–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
313–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
314–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
315–रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री गोण्डा
316–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
317–रूप चौधरी, श्री मेरठ
318–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणी", कुंवर इलाहाबाद
319–लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
320–लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री मथुरा
321–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
322–लाखी राम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
323–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
324–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
325–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
326–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
327–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
328–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
329–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
330–वहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
331–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
332–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
333–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
334–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
335–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
336–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
337–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
338–विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री गोण्डा
339–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा

340–विनोद मणि, श्री महराजगंज
341–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
342–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
343–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
344–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
345–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
346–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
347–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
348–विश्वनाथ, श्री पडरौना
349–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
350–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
351–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
352–वेद प्रकाश सिंह एम०एस, डा० बिजनौर
353–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
354–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
355–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट रायबरेली
356–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
357–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
358–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
359–शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
360–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
361–शिव शंकर, श्री बांदा
362–शिव सिंह चक, श्री फिरोजाबाद
363–शिवा कान्त, श्री प्रतापगढ़
364–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
365–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
366–शेर बहादुर, श्री अम्बेडकर नगर
367–श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
368–श्याम देव राय चौधरी, (दादा), श्री वाराणसी
369–श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
370–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
371–श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
372–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
373–श्रीनिवास मणि, श्री देवरिया
374–श्रीराम, श्री जालौन
375–श्रीराम, श्री मऊ
376–श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
377–संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
378–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
379–संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
380–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
381–सतीश जतारिया, श्री झांसी
382–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
383–सतीश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
384–सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
385–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
386–सन्त, श्री गोरखपुर
387–सन्त राम सिंह, श्री जालौन
388–समर पाल सिंह, श्री मेरठ
389–सरजीत सिंह डंग, डा० मिर्जापुर
390–सरदार सिंह, श्री मथुरा
391–सरवर अली खां,श्री बाराबंकी
392–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
393–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
394–सीता राम निषाद, श्री फैजाबाद
395–सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
396–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
397–सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
398–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री सहारनपुर
399–सुधाकर सिंह, श्री मऊ
400–सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवरिया
401–सुमन लता सिंह, श्रीमती बरेली
402–सुरेन्द्र नाथ, श्री बाराबंकी
403–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बरेली
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
405–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
406–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री उधम सिंह नगर
407–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
408–सुशील शाक्य, श्री फर्रुखाबाद

409–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
410–सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
411–सूर्य भान, श्री सुल्तानपुर
412–सौलत अली, श्री मुरादाबाद
413–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
414–हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री देहरादून
417–हरिनारायण, श्री बलिया
418–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र
419–हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
420–हरि शंकर माहौर, श्री अलीगढ़
421–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री बरेली
422–हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री वाराणसी
423–हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
424–हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
425–होराम सिंह, श्री बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**महामहिम राज्यपाल**

श्री रोमेश भण्डारी

---

**मंत्री-परिषद्**

| क्र०सं० नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|
| 1 2 | 3 |
| 1–श्री कल्याण सिंह (मुख्य मंत्री) | सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, प्रोटोकाल, संसदीय कार्य एवं सार्वजनिक उद्यम। |
| 2–श्री कलराज मिश्र | लोक निर्माण, पर्यटन |
| 3–श्री लालजी टण्डन | आवास, नगर विकास |
| 4–श्री ओम प्रकाश सिंह | सिंचाई, गन्ना विकास |
| 5–श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| 6–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल | ऊर्जा |
| 7–श्री दिवाकर विक्रम सिंह | कृषि |
| 8–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर | उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा |
| 9–श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह | ग्राम्य विकास |
| 10–श्री जगदम्बिका पाल | परिवहन |
| 11–श्री रमापति शास्त्री | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा |
| 12–श्री मारकण्डेय चन्द | लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 2 | 3 |
|---|---|
| 13–श्री रघुवर दयाल वर्मा | वन |
| 14–डा० नैपाल सिंह | माध्यमिक शिक्षा, भाषा |
| 15–श्री सूर्य प्रताप शाही | आबकारी |
| 16–श्री राम कुमार वर्मा | सहकारिता |
| 17–श्रीमती प्रेमलता कटियार | महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार |
| 18–श्रीमती प्रभा द्विवेदी | श्रम |
| 19–श्री सरदार सिंह | वस्त्र उद्योग |
| 20–श्री राधेश्याम गुप्ता | संस्थागत वित्त |
| 21–श्री बाबू राम, एम०काम० | लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन |
| 22–श्री हुकुम सिंह | पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य |
| 23–श्री ऐजाज रिज़वी | खाद्य एवं रसद |
| 24–श्री शिव प्रताप शुक्ल | कारागार |
| 25–श्री बच्चा पाठक | पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा |
| 26–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही | राजस्व |
| 27–श्री हरिशंकर तिवारी | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 28–श्री मण्डलेश्वर सिंह | क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास |
| 29–श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह | राष्ट्रीय एकीकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स |
| 30–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" | उत्तरांचल विकास |
| 31–श्री चौधरी लक्ष्मीनारायण | उद्यान |
| 32–श्री श्याम सुन्दर शर्मा | खेलकूद, युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल |
| 33–श्री शिवाकान्त ओझा | चिकित्सा शिक्षा |
| 34–श्री सरस्वती प्रताप सिंह | होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 2 | 3 |
|---|---|
| 35–श्री फागू चौहान | संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व |
| 36–श्री राजाराम पाण्डेय | खादी एवं ग्रामीण उद्योग |
| 37–श्री राजा रघुराज प्रताप सिंह | कार्यक्रम कार्यान्वयन |

**राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

| | |
|---|---|
| 1–श्री सुन्दर सिंह बघेल | दुग्ध विकास |
| 2–श्री रवीन्द्र शुक्ल | बेसिक शिक्षा |
| 3–श्री गोरख प्रसाद निषाद | पशुधन |
| 4–श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे | नियोजन |
| 5–श्री धर्मपाल सिंह | पंचायती राज |
| 6–श्री जयपाल सिंह | बाढ़ नियंत्रण |
| 7–श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह | परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण |
| 8–श्री अशोक यादव | अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास |
| 9–श्री राधेश्याम कोरी | अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन |
| 10–श्री राजा गजनफर अली | अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज |

**राज्य मंत्री**

| | |
|---|---|
| 1–श्री बालेश्वर त्यागी | वित्त |
| 2–श्री फतेह बहादुर सिंह | औद्योगिक विकास |
| 3–श्री राम प्रसाद कमल | लोक निर्माण |
| 4–श्री लल्लू सिंह चौहान | पर्यटन |
| 5–श्री सुरेश खन्ना | आवास |
| 6–श्री सतीश महाना | नगर विकास |
| 7–श्री धनराज यादव | सिंचाई |
| 8–श्री मंगल सिंह सैनी | गन्ना विकास एवं चीनी मिलें |
| 9–श्री दल बहादुर कोरी | समाज कल्याण |
| 10–श्री राम आसरे कुशवाहा | अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 2 | 3 |
|---|---|
| 11–श्री रंगनाथ मिश्र | ऊर्जा |
| 12–श्री भगवान सिंह शाक्य | कृषि |
| 13–श्री वीरेन्द्र सिंह | कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान |
| 14–श्री राकेश धर त्रिपाठी | उच्च शिक्षा |
| 15–श्री यशवन्त सिंह | प्राविधिक शिक्षा |
| 16–श्री शिवेन्द्र सिंह | ग्राम्य विकास |
| 17–श्री बंश नारायण सिंह पटेल | ग्राम्य विकास |
| 18–श्री सुखपाल पाण्डेय | परिवहन |
| 19–डा० अरविन्द कुमार जैन | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य |
| 20–श्री राम आसरे पासवान | लघु सिंचाई |
| 21–श्री चन्द्र किशोर | माध्यमिक शिक्षा |
| 22–श्री विक्रमाजीत मौर्य | आबकारी |
| 23–श्री रामचन्द्र बाल्मीकि | सहकारिता |
| 24–श्रीमती गुलाब देवी | महिला कल्याण |
| 25–श्री प्रेम प्रकाश सिंह | वस्त्रोद्योग |
| 26–श्री बहोरन लाल मौर्य | संस्थागत वित्त |
| 27–श्री बिहारी लाल आर्य | लघु उद्योग |
| 28–श्री राकेश त्यागी | पंजीयन |
| 29–श्रीमती राजराय सिंह | खाद्य एवं रसद |
| 30–श्री हरि नारायण राजभर | कारागार |
| 31–श्री विवेक कुमार सिंह | पर्यावरण |
| 32–श्री रामपाल राजवंशी | अतिरिक्त ऊर्जा |
| 33–श्री शिव शंकर सिंह | राजस्व |
| 34–श्री सतीश शर्मा | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 35–श्री संग्राम सिंह | क्षेत्रीय विकास |
| 36–श्री श्रीराम सोनकर | राष्ट्रीय एकीकरण |
| 37–श्री मातवर सिंह कण्डारी | उत्तरांचल विकास |
| 38–श्री बंशीधर भगत | उत्तरांचल विकास |
| 39–श्री नारायण रामदास | उत्तरांचल विकास |
| 40–श्री पूरन सिंह बुन्देला | उद्यान |
| 41–श्री दलवीर सिंह | खेलकूद |
| 42–अमर मणि त्रिपाठी | युवा कल्याण |
| 43–श्री गंगा बख्श सिंह | चिकित्सा शिक्षा |
| 44–श्री विनय पाण्डेय | होमगार्ड्स |
| 45–श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल | संस्कृति |
| 46–श्री रामलखन पासी | खादी एवं ग्रामीण उद्योग |

नेता विरोधी दल
श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

**अधिष्ठाता मण्डल**

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर)

2–श्री सत्य प्रकाश विकल, सदस्य, विधान सभा (आगरा)

3–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर)

4–श्री निर्भय पाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

5–श्री केदार सिंह फोनिया, सदस्य, विधान सभा (चमोली)

6–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर)

7–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई)

8–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून)

9–श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ)

10–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 27 जनवरी, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

| | |
|---|---|
| अकबर हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री | गोण्डा |
| अजय राय, श्री | वाराणसी |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अनीस खां, श्री | पीलीभीत |
| अफजाल अंसारी, श्री | गाजीपुर |
| अफजाल अहमद, श्री | जौनपुर |
| अफरोज अली खां, श्री | रामपुर |
| अब्दुल कलाम, श्री | बस्ती |
| अब्दुल कलाम, श्री | वाराणसी |
| अब्दुल खालिक, श्री | अलीगढ़ |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| अमीर आलम खान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अम्मार रिजवी, डा० | सीतापुर |
| अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| अरविन्द गिरि, श्री | खीरी |
| अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच |
| अशफाक अहमद, श्री | बरेली |
| अशोक बाजपेई, डा० | हरदोई |
| आर० के० चौधरी, श्री | लखनऊ |
| आर० के० सिंह पटेल, श्री | बांदा |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रजीत सरोज, श्री | इलाहाबाद |
| इल्म सिंह, श्री | सहारनपुर |
| उवैदुर्रहमान, श्री | गोण्डा |
| ओम प्रकाश, श्री | गाजीपुर |
| ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| कमला प्रसाद रावत, श्री | बाराबंकी |
| काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री | रामपुर |
| काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री | हरिद्वार |
| किशन लाल बघेल, रोठ | आगरा |
| के० सी० सिंह, "बाबा" | उधम सिंह नगर |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री | मेरठ |
| चन्द्र किशोर, श्री | महराजगंज |
| चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री | झांसी |
| चन्द्रेश पासवान, श्री | गोरखपुर |
| छोटे लाल राजभर, श्री | बलिया |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जय प्रकाश, श्री | गाजियाबाद |
| तौफीक अहमद, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दद्दू प्रसाद, श्री | बांदा |
| दिलीप कुमार, श्री | बहराइच |
| दीपक कुमार, श्री | उन्नाव |
| दुर्गा प्रसाद, श्री | आजमगढ़ |
| देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर | एटा |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकर नगर |
| नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री | कानपुर देहात |
| नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री | बुलन्दशहर |
| नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री | गाजियाबाद |
| पारसनाथ यादव, श्री | जौनपुर |
| प्रभा द्विवेदी, श्रीमती | फर्रुखाबाद |
| प्रेम स्वरूप पाठक, श्री | बदायूं |
| फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| बादशाह सिंह, श्री | हमीरपुर |
| बाबू राम यादव, श्री | मैनपुरी |
| बाबू लाल, श्री | आगरा |
| बाबू लाल कुशवाहा, श्री | बांदा |
| बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री | सीतापुर |
| ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री | मुरादाबाद |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| भगवती प्रसाद, श्री | कानपुर देहात |
| मंगल सिंह सैनी, श्री | मुरादाबाद |
| मतेश चन्द्र सोनकर, श्री | इलाहाबाद |
| महेन्द्र कुमार, श्री | सीतापुर |
| महेन्द्र पाल निषाद, श्री | बांदा |
| मानिक चन्द यादव, श्री | मैनपुरी |
| मायावती, सुश्री | सहारनपुर |
| मारकण्डेय चन्द, श्री | गोरखपुर |
| मित्रसेन यादव, श्री | फैजाबाद |
| मुख्तार अन्सारी, श्री | मऊ |
| मुन्ना चौहान, श्री | देहरादून |
| मुन्ना लाल मौर्य, श्री | फतेहपुर |
| मुरलीधर, श्री | फतेहपुर |
| मुराद लारी, श्री | देवरिया |
| मुस्ताक सोलंकी, श्री | कानपुर नगर |
| मुहर सिंह अम्बाडी, श्री | इटावा |
| मोहम्मद मुकीम, श्री | सिद्धार्थनगर |
| रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर | पडरौना |
| रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० | गढ़वाल |
| रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री | सिद्धार्थनगर |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजा राम पाल, श्री | कानपुर देहात |
| राजेन्द्र, श्री | गाजीपुर |
| राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री | फतेहपुर |
| राम अचल राजभर, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राम अवतार मिश्रा, श्री | शाहजहांपुर |
| राम औतार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| राम नक्षत्र, श्री | पडरौना |
| राम नरेश रावत, श्री | गाजियाबाद |
| राम नरेश यादव, श्री | आजमगढ़ |
| राम प्यारे, श्री | आजमगढ़ |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम ललित चौधरी, श्री | बस्ती |
| रामवीर उपाध्याय, श्री | अलीगढ़ |
| राम शंकर पाल, श्री | उन्नाव |
| राम सिंह सैनी, श्री | हरिद्वार |
| राम सेवक सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| राम हर्ष सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा |
| रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री | गोण्डा |
| रेवती रमण सिंह उर्फ "मणी", कुंवर | इलाहाबाद |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकर नगर |
| लालमणि प्रसाद, श्री | बस्ती |
| वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री | गोण्डा |
| विभूति प्रसाद निषाद, श्री | आजमगढ़ |
| विरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री | बुलन्दशहर |
| वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री | एटा |
| वेद प्रकाश, श्री | बस्ती |
| शब्बीर अहमद, श्री | बहराइच |
| शिव चरन प्रजापति, श्री | हमीरपुर |
| शिशुपाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| शेर बहादुर, श्री | अम्बेडकर नगर |
| श्याम प्रकाश, श्री | हरदोई |
| श्याम सुन्दर, श्री | रायबरेली |
| श्रीराम, श्री | जालौन |
| श्रीराम यादव, श्री | जौनपुर |
| संजय गर्ग, श्री | सहारनपुर |
| सतीश जतारिया, श्री | झांसी |
| सत्य प्रकाश विकल, श्री | आगरा |
| सन्त राम सिंह, श्री | जालौन |
| समर पाल सिंह, श्री | मेरठ |
| सरवर अली खां, श्री | बाराबंकी |
| सुखदेवी वर्मा, श्रीमती | इटावा |
| सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री | सहारनपुर |
| सुधाकर सिंह, श्री | मऊ |
| सौलत अली, श्री | मुरादाबाद |
| स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | रायबरेली |
| हरदेव सिंह, श्री | बाराबंकी |
| हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री | सोनभद्र |
| हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री | वाराणसी |
| हीरा लाल गौतम, श्री | आजमगढ़ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 जनवरी, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12.30 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

## राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष–

इस सत्र में आप सभी का स्वागत है, हम सब कार्यवाही वन्दे मातरम् से शुरू करते हैं ।

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम् ।
सुफलाम ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

### श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ता हूं –

''माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1998 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं ।

मेजर जगत पाल सिंह–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

पहले आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप कृपा करके नियमावली के अध्याय–5 के नियम 19 को देखें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस विषय को समाप्त कर दूं फिर व्यवस्था का प्रश्न सुन लूंगा । सबकी सहमति से इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया ।)

[दो बार भारत के प्रधानमंत्री रहे श्री गुलजारी लाल नन्दा अब हमारे बीच नहीं रहे । उनकी दिवंगत आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

मेरी सरकार महामहिम श्री राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने 21 अक्टूबर, 1997 को देश के सबसे बड़े राज्य में लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान, विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 356, के दुरुपयोग के विरुद्ध अभूतपूर्व एवं साहसिक कदम उठाया और पूर्ण बहुमत प्राप्त जनता की सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ।

विश्वास मत प्राप्त करने वाली बहुमत सरकार की स्थापना में महामहिम श्री राष्ट्रपति की भूमिका वास्तव में लोकतंत्र की विजय है, जिसे सम्पूर्ण विश्व में सराहा गया । मेरी सरकार उन माननीय सदस्यों एवं सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देती है, जिन्होंने जन-कल्याण और राजनैतिक स्थायित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार की स्थापना में बहुमूल्य योगदान किया ।

मेरी सरकार ने लगभग 4 महीने का कार्यकाल पूरा किया है, किन्तु इस कार्यकाल के प्रथम माह में स्वच्छ, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने में कदम-कदम पर कठिनाई पैदा की गई । मेरी सरकार को बिगड़े हाल में कानून-व्यवस्था, खराब वित्तीय स्थिति, केवल कुछ गांवों का आधा-अधूरा विकास, टूटे मनोबल की नौकरशाही, सामाजिक बिखराव और तनाव तथा भ्रष्टाचार के अनेक घोटाले विरासत में मिले ।

इसके बावजूद अल्पकाल में ही सरकारी तंत्र को वापिस पटरी पर लाते हुए मेरी सरकार ने अपनी नीति और नीयत, न्यायप्रियता और निष्पक्षता, अपने इरादे और इच्छाशक्ति, आत्मबल और अनुशासन, अपनी कार्य-शैली और कर्तव्यपरायणता, सामाजिक समरसता और समग्र विकास द्वारा जन-विश्वास अर्जित किया । आम जनता को स्वच्छ और स्थाई सरकार मिली । हाल ही में विधान परिषद् के सम्पन्न हुए चुनावों के परिणाम इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है ।

## प्राथमिकताएं एवं संकल्प

मेरी सरकार की प्राथमिकतायें और संकल्प इस प्रकार हैं :–

**चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था एवं भयमुक्त वातावरण :–** जात-पांत, मत-मज़हब, वर्ग अथवा सम्प्रदाय के भेद-भाव के बिना समाज के सभी लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा महिलाओं की इज्जत-आबरू की हिफाजत की गारण्टी ।

**भ्रष्टाचार उन्मूलन :–** जनता की गाढ़ी कमाई हड़प कर अपनी तिजोरी भरने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही चाहे वे कितने ही ऊंचे पद पर आसीन क्यों न हों ।

**समग्र विकासः–** गिने-चुने क्षेत्रों के विकास के बजाय पूरे प्रदेश का समग्र विकास । जो गांव अब तक किसी भी विकास योजना में शामिल नहीं हो पाये, उनके विकास पर विशेष जोर ।

**सामाजिक समरसता :–** समाज के सभी वर्गों तथा सभी जातियों में परस्पर भाई-चारे का विकास । सामाजिक ममता की नींव पर सामाजिक समता के भवन का निर्माण ।

**साम्प्रदायिक सद्भाव :–** मत-मज़हब अथवा सम्प्रदाय के नाम पर होने वाले मतभेद को दूर करना, परस्पर बन्धुत्व-भाव स्थापित करना तथा किसी भेदभाव के बिना सबको सम्मान पूर्वक जीवन-यापन करने का अवसर प्रदान करना ।

---

नोट : [ ] यह अंश [illegible] हुआ माना गया ।

## नयी कार्य-संस्कृति

मेरी सरकार ने नई कार्य-संस्कृतिक विकसित की है जिसके मूल तत्व इस प्रकार हैं :–

**समयशीलता :–** अधिकारी-कर्मचारी समय का मूल्य समझें। समय से उपस्थित हों और पूरे समय लगन तथा निष्ठा से जनसेवा का कार्य करें।

**समयबद्धता :–** कार्यों को निबटाने का समयबद्ध कार्यक्रम। अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था। जवाबदेही का निर्धारण।

**पारदर्शिता :–** प्रक्रियाओं का सरलीकरण। जन साधारण को वास्तविकता की जानकारी। भ्रष्टाचार, धांधली और पक्षपात की विकृति पर अंकुश।

**सुदृढ़ डिलीयरी सिस्टम :–**विकास योजनाओं और जन-सुविधाओं को न्यूनतम समय में अधिकतम् गुणवत्ता के साथ जन-सामान्य तक पहुंचाने की व्यवस्था। जो धनराशि जिस समय जिस कार्य के लिए जहां पहुंचनी हो वह यथा-समय, यथा स्थान पहुंचे और उसी कार्य में उपयोग हो।

**वित्तीय अनुशासन :–**वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने में समयबद्धता। कार्य की समेकित प्रणाली। कार्य-योजना उद्देश्य पूर्ण, परिणाम-परक तथा लोकोपयोगी। कार्य की लागत कम से कम तथा गुणात्मकता अधिक से अधिक। नियंत्रण ऐसा कि संसाधनों का अपव्यय रुके और सदुपयोग बढ़े।

**नई कार्य-शैली :–**मेरी सरकार का यह दृढ़ मत है कि जनता की सेवा एवं उनकी अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य-शैली में बदलाव नितान्त आवश्यक है। नई कार्य-शैली हेतु एक सुविचारित रणनीति के प्रतिपादन की कार्रवाई की जा रही है।

## विकास की नई रणनीति

मेरी सरकार की विकास-रणनीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :–

**'3–डी' प्रणाली :–**विकास कार्यक्रमों को गतिशील बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने हेतु '3–डी' प्रणाली–अर्थात् 'डिसिप्लिन', 'डिलीवरी' तथा 'डवटेलिंग'। इसका अर्थ यह है कि कठोर वित्तीय अनुशासन हो। जिस राशि का जब जहां उपयोग होना है, तब और वहां गुणवत्ता के साथ उपयोग हो। साथ ही विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर समेकित रूप में लागू किया जाये जिससे सीमित संसाधनों का न्यूनतम समय में अधिकतम उपयोग हो।

**पी० एल० ए० का उपयोग :–**निरर्थक पड़ी धनराशि का सार्थक प्रयोग करने की नीति। इसी दिशा में पी० एल० ए० में अप्रयुक्त पड़ी 824 करोड़ की धनराशि का तत्काल उपयोग करने का आदेश।

**समयबद्ध क्रियान्वयन :–**विकास कार्यों का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर पूरा किये जाने की व्यवस्था एवं मानक के अनुसार इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की व्यवस्था। विकास कार्यों में जनता तथा जन-प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता।

**प्राथमिकता निर्धारण :–**विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करना। कार्य-योजना तथा उपलब्ध संसाधन में ताल-मेल।

**मूल्यांकन का आधार :–**मूल्यांकन का आधार कागजी खाना-पूरी नहीं अपितु मौके पर किया गया वास्तविक कार्य।

## कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण

चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण की स्थापना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु समाज में समरसता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाने के साथ-साथ अपराधों पर कड़े नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

मेरी सरकार द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए आपसी विचार-विमर्श, ताल-मेल और सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किये गये हैं। **लखनऊ नगर में 20 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे शिया-सुन्नी विवाद, जिसे पिछली कोई भी सरकार हल नहीं कर सकी, का मेरी सरकार ने समाधान किया** और गत् 21 जनवरी को दोनों समुदायों ने रमजान के महीने के अपने त्योहार को शान्तिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न किया। **इस समस्या के समाधान में सहयोग व सरकार में व्यक्त किये गये विश्वास के लिए मेरी सरकार शिया-सुन्नी समुदायों के धार्मिक नेताओं और सभी नागरिकों को धन्यवाद देती है।**

**मेरी सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था की समीक्षा मात्र आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर की जा रही है कि आम जनता में सुरक्षा की भावना और एहसास हो।**

मेरी सरकार कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिये पूर्ण निष्पक्ष और साफ नीयत से कार्य करने के लिये कृत संकल्प है। सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) अनिवार्यतः दर्ज हों, यह सुनिश्चित किया गया है। कुख्यात अपराधियों और माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। यह कार्यवाई संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता के आधार पर की गई है और इसी का परिणाम है कि शासन तथा प्रशासन की धमक और इकबाल स्थापित हुआ है, आम नागरिक में सुरक्षा का अहसास बढ़ा है तथा अपराधियों के हौसले पस्त हुये हैं।

**मेरी सरकार द्वारा पुलिस कार्य-प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाया गया है और प्रथम बार अपराधियों से सांठ-गांठ रखने वाले पुलिस कर्मियों का चिन्हांकन कर 108 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त और 183 को मुअत्तल किया गया है। साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले 4061 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है।**

प्रत्येक थाने एवं जनपद के सबसे बड़े अपराधियों तथा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करते हुये 359 को एन० एस० ए० में तथा 4114 को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया है। माफिया व अपराधिक गिरोहों का चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाई का अभियान चलाया जा रहा है।

अपराध होने पर अभियुक्त के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाई, अभियुक्त की गिरफ्तारी होने पर उसे जमानत पर न छूटने देना, अभियुक्त की गिरफ्तारी न हो सकने पर कुर्की की कार्यवाई, विवेचना को शीघ्र पूरा कर अभियोजन कार्यवाई प्रभावी रूप से किया जाना, न्यायालय में मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु केस-वार पैरवी सुनिश्चित किया जाना आदि कुछ ऐसे गुणात्मक सुधार है, जो मेरी सरकार द्वारा किये गये हैं। इन बिन्दुओं के आधार पर पुलिस कार्य की समीक्षा और जिम्मेदारी नियत करने की पद्धति विकसित की गई है।

मेरी सरकार द्वारा निरोधात्मक उपायों पर विशेष बल दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जाति-गत, साम्प्रदायिक और भूमि-विवाद के तनावग्रस्त क्षेत्रों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चिन्हांकन कर व्यापक निरोधात्मक कार्यवाई की गई है और ऐसे क्षेत्रों पर नियमित रूप से कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में न केवल कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई वरन् तनाव में भी कमी आयी है।

**अनुसूचित जाति/जनजाति, कमजोर वर्ग और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु मेरी सरकार पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक सर्तकता के कारण इन अपराधों में गत चार महीनों में एक तिहाई से भी अधिक की कमी आई है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पी० ए० सी० की तीन महिला कम्पनी गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।**

मेरी सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण हेतु किये गये उपायों से शत-प्रतिशत मुकदमें दर्ज करने के उपरान्त भी गत चार माहों में मुख्य अपराधों में कमी आई है तथा जहां एक ओर

आम जनता और पुलिस का मनोबल बढ़ा है वहीं दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई से उन पर अंकुश लगा है। कानून-व्यवस्था और अपराध-नियंत्रण हेतु मेरी सरकार के सतत् प्रयास जारी रहेंगे।

## जनता की सरकार, जनता के द्वार

मेरी सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्य मंत्री स्वयं प्रत्येक सोमवार को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक **"जनता दर्शन"** कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों से आये हुए हजारों व्यक्तियों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करते हैं और उनके द्वारा इंगित समस्याओं के समयबद्ध रूप से समाधान के अनुश्रवण हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था विकसित की गई है।

जन समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु प्रत्येक बृहस्पतिवार को न्याय पंचायत स्तर पर **"किसान-सेवा केन्द्र"** तथा प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील स्तर पर **"तहसील दिवस"** के आयोजन की व्यवस्था की गयी है। इन आयोजनों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। तहसील दिवस तथा किसान-सेवा केन्द्र पर जन-समस्याओं/शिकायतों का यथा संभव मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। तहसील दिवस को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए माननीय मंत्री नामित किये गये हैं, जिनके द्वारा इस आयोजन का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

## भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं पारदर्शी प्रशासन

मेरी सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में या अतीत में बड़े से बड़े पद पर भी क्यों न आसीन हो या रहा हो, के विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं, तो कठोर कानूनी कार्यवाई की जायेगी।

सरकार द्वारा गत 4 माह में भ्रष्टाचार के अनेक संगीन मामलों में कार्यवाई की गई है। करोड़ों रुपये के घोटाले के 2 मामलों में सी० बी० आई० को जांच सौंपी गई है। 5 मामलों में एफ० आई० आर० की गई है, एक मामले में सी० ए० जी० तथा 10 मामलों में सर्तकता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये 3 आई० ए० एस०, 2 आई० पी० एस०, 3 पी० पी० एस० अधिकारी, 4 मुख्य अभियन्ता, 1 अधीक्षण अभियन्ता, 4 अधिशासी अभियन्ता, 17 भूमि संरक्षण अधिकारी, 96 चिकित्सक तथा लगभग 310 अन्य अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन निगम में की गई 1500 अनियमित नियुक्तियों को निरस्त कर सतर्कता जांच के आदेश दिये गये हैं।

मेरी सरकार शासन और फील्ड स्तर पर प्रत्येक विभाग के कार्य-कलापों में पारदर्शी कार्य-प्रणाली स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस उद्देश्य हेतु जनता व जन प्रतिनिधियों की विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है।

मेरी सरकार जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विभागों के संबंध में शीघ्र ही **"सिटिजन्स चार्टर"** निर्गत कराएगी। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में **"सूचना के अधिकार"** (Right to Information) को जनता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण मानती है और इस संबंध में शीघ्र कार्यवाई प्रस्तावित है। कार्यों की प्रक्रिया और पद्धति में इस प्रकार सुधार किया जाएगा जिससे भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त किया जा सके।

## रजिस्ट्री की नयी व्यवस्था : जनता का शोषण समाप्त

मेरी सरकार द्वारा सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किए गये हैं, जिससे इस महकमें में व्याप्त भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त की जा सकें। यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि स्टाम्प पेपर उपलब्ध न हों तो वांछित स्टाम्प के मूल्य के बराबर की धनराशि सरकारी

खजाने में बैंक के माध्यम से जमा करके उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्री कर दी जाए। विकल्प के रूप में प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में फ्रैंकिंग मशीन स्थापित करने की व्यवस्था भी की गयी है ताकि स्टाम्प पेपर उपलब्ध न होने पर फ्रैंकिंग मशीन द्वारा स्टाम्प की धनराशि प्रपत्रों पर अंकित कर दी जाए।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर यदि रजिस्ट्री कराते समय स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया जाता है तो सब-रजिस्ट्रार द्वारा बैनामों को ए० डी० एम० को मुकदमें के लिए संदर्भित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यह व्यवस्था भी की गयी है कि बैनामा कराने वाले व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति के विषय में निर्धारित प्रारूप पर स्वयं उसके द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मूल्यांकन करके स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण किया जाए।

रजिस्ट्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि रजिस्ट्री के पश्चात् बैनामे का मूल दस्तावेज उसी दिन बैनामा कराने वाले को वापस दे दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में फोटोस्टेट मशीन की व्यवस्था की गयी है और इसके लिए 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

## युवा कल्याण और बेरोजगारों को काम

मेरी सरकार प्रदेश के युवा वर्ग की शक्ति को रचनात्मक कार्यों और प्रदेश के विकास में सक्रिय रूप से सम्बद्ध करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए "राज्य युवा नीति" का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही अंगीकार करके कार्यान्वित किया जाएगा।

राज्य युवा नीति में ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को शिक्षा का विस्तार करने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने, खेल-कूद में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने, ग्रामीण क्षेत्र में विकास योजनाओं को समुचित रूप से संचालित करने और विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने में उपयोग किया जाएगा। युवाओं की विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

मेरी सरकार छात्रों और युवा वर्ग को खेल-कूद में रुचि से भाग लेने और उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए वृहद उपायों को सम्मिलित करते हुए "राज्य खेल-कूद नीति" तैयार कर रही है।

प्रदेश के युवा वर्ग को सरकारी नौकरियों में और स्व-रोजगार योजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराने का वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में राजकीय विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए भर्ती की एक नयी एवं पूर्ण पारदर्शी प्रणाली विकसित की गयी है।

विभिन्न विकास योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, खादी एवं ग्रामोद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग, रेशम उद्योग, विशेष रोजगार योजनाएं, हस्त शिल्प, ऊसर सुधार योजना, विभिन्न नगरीय रोजगार योजनाएं, प्राविधिक शिक्षा पर आधारित तकनीकी सेवाओं और ट्रेड्स आदि को समेकित कर प्रत्येक जनपद के लिए स्वरोजगार हेतु एक वृहद योजना तैयार की जा रही है जिसे "रोजगार छतरी योजना" (Employment Umbrella Scheme) नाम दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जनपद के सभी शिक्षित और अशिक्षित युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार देने का वृहद कार्यक्रम बनाया जाएगा।

## सरकारी नौकरियों में भर्ती की पूर्णतया पारदर्शी नवीन प्रणाली

सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समान अवसर के आधार पर नयी प्रणाली विकसित की है, जिसमें भ्रष्टाचार, पक्षपात और सिफारिश का कोई स्थान नहीं होगा।

यह अनुभव रहा है कि भर्ती करते समय साक्षात्कार में अंक प्रदान करने में गड़बड़ी और पक्षपात किया जाता है। अभी तक साक्षात्कार हेतु कुल प्राप्तांकों के 25 से 50 प्रतिशत अंक रखे जाते रहे हैं। नयी भर्ती प्रणाली में साक्षात्कार हेतु 100 में से केवल 10 अंक रखे गये हैं। शेष 90 अंकों के लिए शैक्षिक योग्यता, औब्जैक्टिव टाइप टेस्ट आदि के लिए मापदण्ड पूर्व से ही निर्धारित होंगे और अभ्यर्थी इन अंकों का स्व-मूल्यांकन कर सकेंगे।

मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि नवीन भर्ती व्यवस्था के बावजूद चयन में धांधली होने पर इसे संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए भर्ती में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारी को सजा का प्राविधान करने हेतु एक अधिनियम शीघ्र बनाया जाएगा।

## राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान वेतनमान लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। पुनरीक्षित वेतनमान 1 जनवरी, 1996 से लागू किए गये हैं और इससे 9 लाख राजकीय कर्मचारी तथा लगभग 3 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान को पुनरीक्षित किए जाने हेतु बजाज समिति गठित की गयी है और इन प्रत्येक श्रेणी के मामलों पर विचार हेतु अलग-अलग उपसमितियां भी गठित की गयी हैं। इन उपसमितियों की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार इस तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान को पुनरीक्षित करने का निर्णय शीघ्र लेगी। वेतन समिति की संस्तुतियां लागू करने से राज्य सरकार पर सम्पूर्ण वर्ष में लगभग 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

## कृषि विकास और किसानों का उत्थान

मेरी सरकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है तथा इसके लिए कृषि निवेशों यथा उर्वरक, बीज तथा फसल ऋण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों को कृषि निवेश समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी अनुश्रवण योजना लागू की गई है। कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

गत माह नवम्बर–दिसम्बर में असामयिक वर्षा के फलस्वरूप हुई हानि को दृष्टिगत रखते हुए देर से बोये जाने वाले गेहूं के बीज के मूल्यों में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। कृषकों को हुए नुकसान के लिए 242 करोड़ रुपये की राहत उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

धान की खरीद हेतु इस सीजन में विशेष व्यवस्था कर पिछले वर्ष की तुलना में दस गुना अधिक धान क्रय किया गया है।

प्रति वर्ष रबी उत्पादन में 5 प्रतिशत वृद्धि करने की रणनीति निर्धारित की गई है। इस वर्ष 427 लाख मीट्रिक टन के स्थान पर 445 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

विश्व बैंक सहायमित "सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना" के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात विश्व बैंक को प्रेषित द्वितीय चरण हेतु लगाग 600 करोड़ रुपये की योजना पर सक्रिय कार्रवाई की जा रही है।

विश्व बैंक पोषित 746 करोड़ रुपये लागत की उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना ("U.P. Diversified Agricultural Support Project") को सैद्धान्तिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1600 कि० मी० सड़कों का नवीनीकरण, 134 पशु बाजारों का उच्चीकरण, 145 हाट बाजारों का सुदृढ़ीकरण तथा 2 आदर्श फल मण्डियों की स्थापना सम्मिलित है।

उर्वरक में मिलावट को रोकने के लिए प्रदेश भर में अत्यन्त प्रभावी एवं व्यापक कार्यवाही की गई, जिसके अन्तर्गत 8356 छापे डाले गये, 3486 नमूने एकत्र किये गये और 17 व्यक्तियों को जेल भेजा

गया है । साथ ही 89 उर्वरक लाइसेंस निलम्बित किये गये एवं 35 लाइसेंस निरस्त किये गये । प्रदेश के 9000 किसान सेवा केन्द्रों में खाद में मिलावट का पता लगाने वाली किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।

कृषि तकनीक के विस्तार के लिए न्याय पंचायत स्तर पर एक सशक्त "कृषि सेवा केन्द्र" बनाने का निर्णय लिया गया है जहां पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त तकनीक के चयन हेतु किसानों को मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा ।

सभी किसानों को 31 मार्च, 1998 तक "किसान बही" उपलब्ध करा दी जायेगी जिसकी विभिन्न प्रयोजनों के लिए विधिक मान्यता होगी ।

कृषि यन्त्रों की खरीद हेतु ऋण प्रपत्रों पर इस समय 40,000 रुपये तक कोई ड्यूटी देय नहीं है । इससे अधिक मूल्य के ऋण प्रपत्रों पर अब तक 6.25 प्रतिशत की दर से ली जा रही स्टाम्प ड्यूटी को अब मात्र 100 रुपये की अधिकतम् सीमा तक रखने का निर्णय लिया गया है ।

सहकारी समितियों को प्रभावी और आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु ठोस कदम उठाये जा रहे हैं । गत चार माह में 2000 कृषि सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कर उनसे फसल ऋण वितरित कराया गया है ।

जो किसान किसी कारण बिजली बिलों की अदायगी नहीं कर सके हैं, उन्हें 31 जनवरी, 1998 तक विद्युत बिलों को जमा करने पर सरचार्ज की धनराशि माफ करने का निर्णय लिया गया है । इससे किसानों को 28 करोड़ रुपये की राहत उपलब्ध होगी । किसानों को 15 दिन में नये विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही एस्टीमेट तैयार करने की स्वनिर्धारण पद्धति बनाई गई है ।

खेती के लिए बिजली की अबाध आपूर्ति हेतु खराब ट्रान्सफार्मर को यथाशीघ्र बदलने की व्यवस्था की गई है और इस उद्देश्य हेतु 5000 नये ट्रान्सफार्मर खरीदने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है ।

उपलब्ध सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के साथ-साथ इस वर्ष एक लाख 4 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है । नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से 55 करोड़ रुपये की धनराशि इनकी सफाई हेतु दी गई है । राजकीय नलकूपों को पूर्ण क्षमता से चलाने और बन्द नलकूपों को यथा शीघ्र ठीक करने के आदेश दिये गये हैं । वर्ष 1997-98 में अनुदानित बोरिंग योजना के अन्तर्गत 1,04,000 बोरिंग/पम्पसेट की स्थापना कर 3.28 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा ।

## गन्ना एवं चीनी उद्योग विकास

इस वर्ष सुनियोजित प्रयासों से प्रदेश की चीनी मिलों को शीघ्र व समय से संचालित कराया गया । इस पेराई सत्र में 15 जनवरी तक प्रदेश की कुल 120 चीनी मिलों द्वारा 173 लाख टन गन्ना पेरते हुए 16.18 लाख टन चीनी का उत्पादन कर लिया गया है जो गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत से भी अधिक है ।

इस वर्ष वास्तविक गन्ना क्षेत्रफल सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया । सही कैलेण्डर, वास्तविक सट्टा व पर्चा किसानों में वितरित होने से किसानों को भारी राहत मिली है । पहली बार आगामी तीन पेराई सत्रों के लिए गन्ने की आपूर्ति की नीति घोषित की गई है ताकि किसानों एवं मिलों के समक्ष गन्ना आपूर्ति की अनिश्चितता समाप्त हो जाए । गन्ना घटतौली पर पूर्ण रोक हेतु आकस्मिक जांच दलों को सम्बद्ध किया गया है । तौल कांटों के जांच के अधिकार जन-प्रतिनिधियों को भी दिए गये हैं ।

किसानों के हितों को उच्च प्राथमिकता देते हुए गन्ना मूल्य के लिए शीघ्र पकने वाली प्रजाति के लिए 80 रुपये प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति के लिए 75 रुपये प्रति कुन्तल की दर निर्धारित की गयी है । इस निर्णय से 32 लाख गन्ना किसानों को 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा ।

इस वर्ष गन्ना मूल्य भुगतान का कार्य बैंकों के माध्यम से कराया जा रहा है जिसके कारण लगभग 3 लाख 40 हजार फर्जी गन्ना किसानों पर अंकुश लग सका और गन्ना बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। किसानों के बैंक खातों में रिकार्ड अवधि में गन्ना मूल्य हस्तान्तरित कराया जा रहा है।

चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने पर देय 2 रुपये प्रति कुन्तल कर में 50 प्रतिशत छूट देकर उन्हें किसानों के हित में सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया है।

खाण्डसारी तथा चीनी उद्योग के लिए अपनायी गयी उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत वार्षिक लाइसेंस के स्थान पर केवल एक बार लाइसेंस लेने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था से हर वर्ष नवीनीकरण के झंझट से मुक्ति मिल गयी है।

## प्रगतिशील नई शीरा नीति

सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य था जहां शीरे के मूल्य पर नियन्त्रण था, जिसके कारण अन्य कठिनाईयों के साथ भ्रष्टाचार की समस्या भी बनी हुई थी। मेरी सरकार ने नई शीरा नीति के अन्तर्गत शीरे के मूल्य पर नियन्त्रण समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे चीनी मिलों की लाभदेयता बढ़ने के साथ-साथ प्रदेश के गन्ना किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने में राज्य सरकार सफल हुई है। प्रदेश में शीरा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश से बाहर शीरे के निर्यात को प्रतिबंधित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

आसवनियों द्वारा खाण्डसारी शीरे के उपयोग की शर्तों को सरल करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश में उत्पादित खाण्डसारी शीरे का उपभोग आसवनियों द्वारा आसानी से कर लिया जाएगा तथा खाण्डसारी शीरे की खपत की समस्या का समुचित समाधान हो सकेगा।

## गांव और गरीब का विकास

मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्प है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1997 तक 279.86 करोड़ रुपये का उपयोग करके 360.83 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किये गये जिसमें 106.28 करोड़ रुपये की धनराशि अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 1997 तक उपयोग की गई और इस अवधि में 136.07 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 1997 तक 74179 आवास उपलब्ध कराये गये। इनमें से 25556 आवास माह अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य तैयार किये गये।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 222.48 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग करके दिसम्बर 1997 तक 271.55 लाख मानव दिवस सृजित किये गये जबकि माह अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 1997 तक कुल 93.07 करोड़ रुपये का उपयोग कर 112.73 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 1997 तक कुल 141.33 करोड़ रुपये का अनुदान लक्षित परिवारों को उपलब्ध कराया गया और 241903 परिवारों को लाभान्वित किया गया। इनमें से माह अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 1997 तक कुल 65.01 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराते हुए 114478 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 104352 हैण्डपम्प लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर 1997 तक 68089 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 1997 तक 37663 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन और गुणवत्ता में सुधार हेतु "प्रोजेक्ट फारमुलेशन एवं कार्यान्वयन सेल", "विजिलेंस सेल", "टैक्नीकल आडिट सेल" तथा प्रत्येक डी० आर० डी० ए० में "फाईनेंस कण्ट्रोलर" की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

इस वर्ष 94 नये पशु चिकित्सालय, 9 पशु चिकित्सा केन्द्र एवं 27 पशु औषधालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां प्रत्येक माह 4 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। पशुधन प्रक्षेत्रों को सुचारु रूप से चलाने हेतु प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सघन मिनी डेरी योजना के अन्तर्गत पुराने 15 जनपदों के अलावा 17 नये जनपद लिये गये हैं।

आलू भण्डारण की समस्या के निराकरण हेतु छः लाख टन आलू भण्डारण क्षमता में वृद्धि की गई है। आलू तथा अन्य औद्यानिक फसलों के भण्डारण की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर अधिक संख्या में शीत-गृहों तथा कूल-चेन की स्थापना की जायेगी, जिससे किसानों को वाजिब दर पर भण्डारण की सुविधा उपलब्ध हो सके।

## ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने और स्वायत्तता प्रदान करने हेतु ठोस कदम

उत्तर प्रदेश राज्य सम्पूर्ण देश का पहला राज्य है जिसने ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने एवं स्वायत्तता प्रदान करने हेतु राज्य के करों में से धनराशि को सीधे संक्रमित (Devolution) करने का निर्णय लिया है।

1-4-97 से राज्य के सभी करों की सम्मिलित शुद्ध आय का 11 प्रतिशत भाग ग्रामीण एवं नगरीय निकायों को वित्त विभाग द्वारा सीधे आवंटित किया जायेगा। इसमें से 7 प्रतिशत नगरीय निकायों को तथा 4 प्रतिशत ग्रामीण निकायों को आवंटित होगा। इस व्यवस्था से लगभग 60 हजार ग्रामीण निकायों तथा 683 नगरीय निकायों को लाभ पहुंचेगा।

इस निर्णय के फलस्वरूप ग्रामीण निकायों को शासन से प्राप्त होने वाली राशि में अभूतपूर्व वृद्धि हो जायेगी। 1997-98 में जिला पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को जहां केवल 20 करोड़ रुपये प्राप्त हुए वहीं नई व्यवस्था में राज्य के कुल शुद्ध कर आय के रूप में इन ग्रामीण निकायों को 255 करोड़ प्राप्त होंगे। इस प्रकार ग्रामीण निकायों को अब पहले की तुलना में लगभग 13 गुनी धनराशि प्राप्त होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त ग्रामीण निकायों को "प्लान" मद से भी वर्ष 1997-98 में 464 करोड़ रुपये सीधे प्राप्त होंगे। इस प्रकार 1997-98 में ग्रामीण निकायों को सीधे प्राप्त होने वाली कुल धनराशि 719 करोड़ रुपये होगी। नगरीय निकायों को भी दी जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 1997-98 में नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 351 करोड़ रुपये का प्राविधान था, किन्तु नई व्यवस्था में अब नगरीय निकायों को 446 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। चूंकि निकायों को शुद्ध कर राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत हर वर्ष दिया जाना है, अतः इस राशि में प्रति वर्ष स्वतः ही वृद्धि होती जायेगी।

ग्रामीण एवं स्थानीय निकायों [illegible] बार नये सिरे से अपना वित्तीय प्रबन्ध करने का अवसर प्रदान करते हुए शासन द्वारा यह [illegible] महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 1997 तक बिजली के बकायों का भुगतान जिसकी धनराशि लगभग 550 करोड़ रुपये है, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 1-4-97 से बिजली के बिल का भुगतान स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निकायों पर 31-3-97 को जो शासकीय ऋण था उसे ब्याज सहित अनुदान में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाये जाने के साथ-साथ उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों तथा अधिकारों में भी शीघ्र वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह नये कार्य स्थानीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के साथ सौंपे जाएंगे।

## विद्युत उत्पादन में वृद्धि और आपूर्ति में सुधार के लिए व्यापक उपाय

मेरी सरकार कृषि और औद्योगिक विकास हेतु विद्युत उत्पादन में वृद्धि और उसकी आपूर्ति में सुधार हेतु हर संभव उपाय सुनिश्चित करेगी।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विद्यमान क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु तापीय विद्युत गृहों की लगभग 789 मेगावाट क्षमता को प्राप्त करने के लिए मरम्मत, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण हेतु शासन द्वारा 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। विद्युत की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए निजी पूंजी निवेशकों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 3326 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहमति-पत्र/विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं।

उद्योगों को "कैप्टिव पावर प्लाण्ट" लगाने की उत्साहपरक नीति बनाई गई है तथा यदि ऐसी इकाई द्वारा विद्युत का सरप्लस उत्पादन किया जाता है तो विद्युत बोर्ड के अलावा थर्ड पार्टी को भी विद्युत विक्रय करना अनुमन्य कर दिया गया है। साथ ही विद्युत के "कैप्टिव कन्जम्पशन" पर विद्युत शुल्क माफ कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि उद्योगों के समूह चाहें तो वे राज्य विद्युत परिषद् से एक बिन्दु पर विद्युत क्रय कर सकते हैं और अपने स्तर से उसे वितरित कर सकते हैं। साथ ही साथ चीनी मिलों में खोई से विद्युत उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। अब यह चीनी मिलें आस-पास के क्षेत्रों में सीधे विद्युत विक्रय कर सकेंगी।

मेरी सरकार द्वारा प्लाण्ट लोड फैक्टर (पी० एल० एफ०) बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। गत 3 माह में पी० एल० एफ० को बढ़ाकर 51.5 प्रतिशत तक किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पी० एल० एफ० को बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत देयों की वसूली बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है और साथ ही प्रयोग के आधार पर कानपुर, मुरादाबाद एवं आगरा में विद्युत वितरण के निजीकरण का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन देने की व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। कनेक्शन हेतु स्टाम्प पेपर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और नये कनेक्शन प्रार्थना-पत्र देकर औपचारिकतायें पूरी करने के 15 दिनों के भीतर देने के आदेश किये गये हैं।

बिजली की चोरी करने के लिए 11 किलोवाट तथा इसके ऊपर के सभी सब-स्टेशनों पर मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। विद्युत आपूर्ति तथा उपभोग का सही हिसाब-किताब रखने की कारगर व्यवस्था की गई है। "कटिया हटाओ कनेक्शन लगवाओ" अभियान के अन्तर्गत अवैध कनेक्शनों को नियमित करने का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। ऐसे कनेक्शन देने की व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है और कनेक्शन हेतु केवल एक तिहाई धनराशि प्रारम्भ में जमा कराई जाएगी तथा शेष भुगतान को तीन किश्तों में करने की सुविधा दी गई है।

विद्युत आपूर्ति तथा अनुरक्षण में सुधार हेतु मण्डलीय मुख्य अभियन्ता को निर्धारित फर्मों से निर्धारित दर पर स्थानीय रूप से समाग्री क्रय करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं ताकि विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु देरी को कम किया जा सके ।

## सड़कों का जाल बिछाने की वृहद नीति

मेरी सरकार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और विकास को आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण मानती है और इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया है ।

एक हजार से अधिक आबादी के सभी गांवों को चरणबद्ध रूप से सन् 2000 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का सरकार का प्रयास है । प्रथम चरण में आठ हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के लिए 556 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

"पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना" के अन्तर्गत 132 करोड़ रुपये की लागत से 1160 मार्गों एवं 18 सेतुओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है ।

ग्रामीण जनता को सुचारु आवागमन एवं वैकल्पिक मार्गों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों की पटरियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया है । इस उद्देश्य हेतु प्रथम चरण में लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार किलोमीटर लम्बी नहर की पटरियों को इसी वित्तीय वर्ष में पक्की सड़कों में बदला जायेगा और आगामी वर्षों में पांच हजार किलोमीटर लम्बाई की नहर की पटरियों को पक्का करने की योजना बनाई गई है ।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मार्गों के समुचित विकास हेतु "डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना" बनाई गई है और इसके लिए 110 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक मण्डल में दो जनपदों को लिया जा रहा है ।

सड़कों के समुचित रख-रखाव एवं नवीनीकरण के कार्य को मेरी सरकार द्वारा एक नई दिशा प्रदान की गई है । प्रदेश में सड़कों को "गड्ढा-मुक्त" किये जाने का अभियान चलाया गया है और इसके लिए 65 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों को अभी तक गड्ढा-मुक्त किया जा चुका है ।

प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी–बलिया मार्ग तथा दिल्ली-नीति पास मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराया जा चुका है । दिल्ली-कानपुर जी० टी० रोड तथा झांसी-बांदा इलाहाबाद-सोनभद्र मार्ग को भी राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित कराने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश में सड़क मार्गों के सघन, सुदृढ़ एवं प्रभावी संजाल को विकसित करने एवं सड़कों के निर्माण एवं विकास हेतु निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु एक नई "मार्ग विकास नीति" की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी । सड़कों के निर्माण एवं विकास हेतु राजकीय साधनों के अतिरिक्त नाबार्ड की ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि, विश्व बैंक, नये बाह्य स्रोतों तथा निजी क्षेत्रों से वित्तीय संसाधनों की अधिकाधिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की नीति एवं कार्यक्रम शीघ्र बनाया जायेगा ।

## तीव्र गति से औद्योगिक विकास

मेरी सरकार का यह मत है कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करना आवश्यक है और इसके लिए तीव्र गति से औद्योगिक विकास अपरिहार्य है । सरकार

कानून-व्यवस्था में सुधार, उच्चकोटि की इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वीकृतियों को समयबद्ध रूप में निर्गत करने और विभिन्न सुविधाओं, प्रोत्साहनों तथा छूटों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास के लए अनुकूल और स्वस्थ्य वातावरण विकसित करेगी।

प्रदेश में रोजगार के अवसर में वृद्धि करने की दृष्टि से कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, खादी उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा उद्योग तथा लघु उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा और इनके लिए जनपद-वार योजना तैयार की जाएगी। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विपणन की सुविधाओं हेतु "व्यवसायिक केन्द्रों" की स्थापना की योजना भी बनाई जा रही है।

प्रदेश में ऐसे बड़े उद्योगों तथा उद्योग समूहों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके लिए वातावरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुकूल हों और फिर इन चिन्हित क्षेत्रों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष रणनीति बनाकर कार्यवाई की जाएगी।

मेरी सरकार द्वारा औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में निजी क्षेत्र के विनियोग को आमंत्रित कर प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके लिए एक आकर्षक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए भी निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाएगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों में निजी निवेशकर्ता अपना स्वयं पावर जनरेशन और वितरण भी कर सकेंगे।

दूरसंचार की व्यवस्था के महत्व को देखते हुए औद्योगिक विकास विभाग को नोडल विभाग नामांकित किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि उच्च स्तरीय दूरसंचार सुविधाओं के त्वरित विस्तार हेतु भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

अप्रवासी भारतीयों (एन० आर० आईज) तथा विदेशी पूंजी विनियोजन को भी प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार आमंत्रित कर प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके लिए सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए एक आकर्षक नीति शीघ्र बनायी जाएगी।

उत्तरांचल, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों की विशेष कठिनाईयों को देखते हुए वहां पर उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी।

मेरी सरकार प्रदेश में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को सिंगल टेबल व्यवस्था के अन्तर्गत सभी स्वीकृतियां बिना विलम्ब के समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में उपलब्ध करायेगी। प्रत्येक बड़ी औद्योगिक इकाई के लिए एक 'एस्कोर्ट आफिसर' की व्यवस्था की गई है, जो इकाईयों के उत्पादन प्रारम्भ करने तक शासन से संबंधित सभी कार्यवाई पूर्ण कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।

प्रदेश की वित्तीय संस्थाओं यथा पिकप. व यू० पी० एफ० सी० की भूमिका का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि उनके द्वारा कितना पूंजी निवेश कराया गया न कि केवल उनके द्वारा किये गये ऋण वितरण के आधार पर।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए स्वस्थ्य वातावरण उत्पन्न होने से उद्यमियों का रुझान उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा है। सितम्बर से दिसम्बर, 1997 तक 1489 करोड़ रुपये पूंजी निवेश के 148 आशय-पत्र और इच्छा-पत्र प्राप्त हुए हैं और इस आधार पर हमारा प्रदेश पूरे देश में पूंजी निवेश के लिए पहल के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है।

## पर्यटन को प्रोत्साहन

मेरी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी।

1997-98 में पर्यटन विकास हेतु लगभग 207 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। पर्यटन विकास को गति प्रदान करने हेतु बौद्ध परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, पर्वतीय क्षेत्र परिपथ, आगरा एवं लखनऊ क्षेत्रों को विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा वाराणसी, मथुरा, मिर्जापुर एवं अयोध्या स्थानों पर 17.48 करोड़ रुपये की पर्यटन विकास की अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ मेंआधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न "पर्यटन भवन" निर्मित कराया जा रहा है। आगरा के महत्व को देखते हुए आगरा हेरिटेज फण्ड का गठन किया गया है, जिसके लिये 10 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। महान समाजसेवी एवं एकात्म मानववाद के प्रवर्तक स्व० पं० दीनदयाल उपाध्याय की जन्म–स्थली नगला चन्द्रभान फरह का पर्यटन विकास 49.93 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु निजी उद्यमियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भूमि बैंक की स्थापना की गयी है। इस कार्य हेतु 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर लखनऊ स्थित ऐतिहासिक रेजीडेन्सी पर 78.25 लाख रुपये की लागत से "ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम" के आयोजन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के पुराने माध्यमों के अतिरिक्त आधुनिकतम माध्यम "इन्टरनेट" से भी प्रचार कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके द्वारा पर्यटक देश-विदेश के किसी भी स्थान पर रह कर उत्तर प्रदेश के स्थलों की तथ्यपरक सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

## हमारे विकासोन्मुख नगर

मेरी सरकार का दृढ़ मत है कि नगरों के विकास से जुड़ी सभी संस्थाओं को कार्य कुशल, प्रभावी व विकासमूलक बनाया जाये।

प्रदेश के विकास में नगरीय निकाय व विकास प्राधिकरणों का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि वे अपने संसाधनों अथवा संस्थाओं से धन प्राप्त कर अवस्थापना का विकास न करें। इसके लिये सभी नगरीय निकायों व प्राधिकरणों की तत्परता से समीक्षा कर उनको प्रभावी करने के लिये कार्य-योजना बनाकर 1 अप्रैल, 1998 से लागू की जायेगी।

नगरीय निकायों द्वारा अपनी वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हेतु मेरी सरकार गृह कर के मूल्यांकन के लिये स्वतः कर निर्धारण योजना 1-4-98 से लागू करेगी। इससे जहां कर-मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी, वहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि होगी।

प्रदेश के समूस्त नगरीय क्षेत्रों में निर्धन एवं बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये स्वर्ण जयन्ती नगरीय रोजगार योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये मेरी सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

* योजना को चालू योजनाओं के साथ एकीकृत करके उपलब्ध राशि का अधिकाधिक उपयोग करने से स्थाई परिसम्पत्तियां सृजित की जायें।

* नगरीय क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह गठित करके उनको आय के प्रभावी एवं स्थाई साधन उपलब्ध कराये जायें। इसके लिये स्वयं सेवी संस्थाओं का भरपूर सहयोग लिया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु जन सहभागिता आवश्यक है। इसके लिये यह निर्णय लिया गया है कि नगर प्रमुखों को दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने के पश्चात् ही हटाया जा सकता है। इससे नगर निगमों के कार्य कलापों में स्थायित्व आ सकेगा। इसके लिये आवश्यक बिल इसी सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी स्थानीय निकायों में उपलब्ध स्टाफ का उपयोग करते हुए वार्ड कार्यालय तथा जोनल कार्यालय स्थापित किये जाये और वहां अधिकारी नियमित रूप से उपलब्ध होंगे जिससे की जन सामान्य की समस्याओं का समाधान सुगमता से हो सके। इसके साथ-साथ जोनल कार्यालयों पर प्रत्येक माह में पहले एवं तीसरे बुधवार को नगरीय सेवा केन्द्र की बैठकें होंगी जिससे नगर से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी भाग लेंगे और जनता की शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।

नगरीय क्षेत्रों में अच्छी सफाई व्यवस्था होना प्रत्येक दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो जन सहभागिता प्रणाली दक्षिण के राज्यों में अपनायी गयी है उसी प्रणाली को अपनाया जाय। इसके लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं में संशोधन किया जायेगा। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में मशीन-यंत्रों से सफाई एवं कूड़ा-कचरे तथा बायोगैस से विद्युत पैदा करने के कार्यक्रम को व्यापक रूप प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय निकायों के अल्प वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को 14 करोड़ रुपये के बकाया वेतन का भुगतान भी मेरी सरकार द्वारा किया गया है।

मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि नगरीय निकाय तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा जन सामान्य से संबंधित नियमों/प्रक्रियाओं को 31 मार्च, 1998 तक प्रकाशित कर जनता को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भविष्य में यदि नियमों/प्रक्रियाओं में कोई संशोधन होता है तो वह भी जनता को उपलब्ध होगा।

मेरी सरकार का मत है कि नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिये विशेष रूप से ध्यान देने की जरुरत है। यह निर्णय लिया गया है कि सभी विकास प्राधिकरण व जहां पर विकास प्राधिकरण नहीं हैं वहां नगर निकाय अपने क्षेत्र के अन्दर समस्त प्रकार की अवस्थापना जो चाहे प्रदेश सरकार से अथवा भारत सरकार से संबंधित हो, के विषय में समन्वय और उसकी स्थापना के लिये जिम्मेदार होंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे वित्तीय संस्थाओं व निजी पूंजी निवेशकों से वित्त पोषण को प्रोत्साहित करेंगे।

सभी नगरों के जो पुराने भाग हैं अथवा जो उद्योग से संबंधित भाग हैं (जैसे मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा आदि नगर) उनका विकास करने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये एक उच्च स्तरीय अधिकृत समिति बनायी जाये, जिससे वहां से संबंधित सभी निर्णय तत्परता से लेकर उनका अनुपालन किया जाय। इसी प्रकार की उच्च स्तरीय अधिकृत समिति राज्यीय राजधानी क्षेत्र के लिये भी गठित की जायेगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों इलाहाबाद तथा कानपुर के लिये भी ऐसी समिति गठित कर दी गई है।

भू-माफियाओं के द्वारा नगरीय भूमि पर अवैध रूप से जो कब्जा किया गया है उसको हटाने के लिये वृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे जो भूमि उपलब्ध होगी उसका एक भाग निर्धन व्यक्तियों को भवन बनाने के उपयोग में लाया जा सकेगा तथा अवशेष भूमि के विक्रय से जो धन प्राप्त होगा उसे नगरीय क्षेत्र के विकास में योगदान मिल सकेगा।

## बेघर को घर

नगरीय क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु अभी तक चल रहे कार्यक्रमों से आशानुकूल सफलता न प्राप्त होने के कारण मेरी सरकार ने एक नई योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में 5/-, 10/-, 15/- रुपये प्रतिदिन का भुगतान लेकर भवन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित व्यक्ति या परिवार को इसका भुगतान 20 वर्षों में करना होगा। इस सम्पत्ति को स्टाम्प एक्ट के प्राविधानों से भी छूट प्रदान की गई है। सभी सुविधाओं से पूर्ण ये बस्तियां उदाहरणीय बस्तियों के रूप में विकसित होंगी।

इस योजना से प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से बसे हुए परिवारों को उनका भवन उपलब्ध कराना प्रारम्भ किया गया है । इससे समाज के गरीब परिवारों में जहां आत्म सुरक्षा की संस्कृति का विकास होगा, वहीं बहुमूल्य सरकारी भूमि भी रिक्त होगी । वर्तमान में यह योजना लखनऊ, कानपुर, मेरठ और आगरा नगरों में प्रारम्भ की गई है, जिसके अनुभव के आधार पर इसका प्रदेश के अन्य नगरों में विस्तार किया जायेगा ।

## मलिन बस्तियों का समग्र विकास

मेरी सरकार द्वारा 43 नगरों की चिन्हित बस्तियों में नाली, खरन्जा, सार्वजनिक शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का कार्य वृहद् रूप से किया जा रहा है । साथ ही 59 नगरों में मानव मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिये स्वच्छकार विमुक्ति योजना के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

## शिक्षा का विस्तार और गुणवत्ता में सुधार

मेरी सरकार का यह दृढ़ मत है कि शिक्षा का विस्तार किये बिना प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्भव नहीं है । इस उद्देश्य हेतु "सभी के लिये शिक्षा" कार्यक्रम तैयार कराकर शीघ्र ही घोषित किया जायेगा । शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु व्यापक उपाय किये जायेंगे । शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिये प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु नवीन नीति शीघ्र ही प्रतिपादित की जाएगी ।

राज्य में शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए 300 की आबादी और 1.5 किलोमीटर की दूरी (पर्वतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर की दूरी) में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हाई स्कूल के लिये परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण किया गया है । स्वैच्छिक विषयों को समाप्त कर 6 विषयों में परीक्षा की व्यवस्था की गयी है । अब प्रश्न-पत्रों की कुल संख्या 150 घटाकर 43 की गयी है तथा परीक्षा दिवसों की संख्या 22 से घटाकर 9 हो गयी है । हाई स्कूल की मान्यता अब एक बार में ही सभी विषयों के लिये दी जाएगी । हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को बदले जाने से उत्कृष्ट पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये एक पारदर्शी नीति शीघ्र ही बनायी जायगी ।

कन्याओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए निजी प्रबन्ध तंत्र की सहभागिता में इस वर्ष मार्च, 1998 तक शेष 157 असेवित विकास खण्डों में कन्या इन्टर कालेज की स्थापना और भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी । इस उद्देश्य हेतु निजी क्षेत्र को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

अक्टूबर, 1986 से पूर्व के गैर सहायतित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का निर्णय लिया गया है । ऐसे 144 विद्यालयों में से 72 विद्यालयों को मेरी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान सूची में लिया गया है तथा शेष 72 विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने के लिये आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधान किया जाएगा ।

इसी वित्तीय वर्ष में 250 जूनियर हाई स्कूल को अनुदान सूची पर लेने का निर्णय लिया गया है ।

गत दो वर्षों में नवनिर्मित 5,027 प्राथमिक विद्यालयों के लिये मेरी सरकार द्वारा 10,054 पदों का सृजन किया गया है । प्रत्येक विद्यालय में एक-एक प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की व्यवस्था की गई है । इन पदों को शीघ्र ही भरे जाने का निर्णय लिया गया है । प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को देखते हुए 16 हजार बी० एड० डिग्री धारकों को बी० टी० सी० के संक्षिप्त कोर्स में प्रशिक्षण देकर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है ।

शिक्षकों की समय से और पूरे समय उपलब्धता के लिये व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया है जिसमें लगभग 13 हजार शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाई की गयी है । अब विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है ।

वर्तमान शिक्षा सत्र से छात्रों के छात्रवृत्ति की दरों को दो गुना कर दिया गया है । प्राथमिक विद्यालयों में 12 रुपये के स्थान पर 25 रुपये प्रति माह, जूनियर हाई स्कूल में 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये प्रति माह तथा हाई स्कूल में 30 रुपये के स्थान पर 60 रुपये प्रति माह कर दिया गया है । प्रतिभावान विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय 'मेरिट स्कालरशिप' स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिये अभिभावक की आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है ।

फर्जी छात्रवृत्ति वितरित करने वाली संस्थाओं का चिन्हीकरण करके 373 बोगस संस्थाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और वसूली की कार्यवाई की जा रही है ।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षा सत्र को नियमित करने तथा कक्षा में छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं । गत 4 माह में 27 नये महाविद्यालयों को खोलने का भी निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है तथा 200 से अधिक महाविद्यालयों में नये विषय खोलने की स्वीकृति दी गयी है । प्रवेश की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु "मुक्त विश्वविद्यालय" खोलने पर भी विचार किया जा रहा है ।

परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र तो मिल सकता है परन्तु छात्र-छात्राओं की प्रतिभा का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसका उनके सम्पूर्ण भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः मेरी सरकार "नकल मुक्त परीक्षा" के लिये पूर्णतया प्रतिबद्ध है । इस उद्देश्य हेतु शैक्षिक संस्थाओं में नियमित पढ़ाई, शिक्षकों की पूरे समय उपलब्धता, कमजोर छात्रों की पढ़ाई के लिये अतिरिक्त कक्षायें, नकल में संलग्न शैक्षिक संस्थाओं का चिन्हांकित व उनके विरुद्ध कार्यवाई, नकल माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाई तथा नकल विरोधी विधान की व्यवस्था शीघ्र की जाएगी ।

प्रदेश में व्यावसायिक कार्यक्रम जैसे–एम० बी० ए०, एम० सी० ए०, बी० बी० ए०, बी० सी० ए०, होटल मैनेजमेंट आदि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा प्रारम्भ करने के संबंध में मानक, संयुक्त परीक्षा पद्धति व अधिकतम फीस का निर्धारण कर दिया गया है ।

इंजीनियरिंग शिक्षा के विस्तार हेतु निजी क्षेत्र में 21 इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है । इसके अतिरिक्त 4 नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये अनापत्ति शीघ्र प्रदान की जाएगी ।

महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने एवं प्रौद्योगिकी तथा अभियांत्रिकी के आधुनिक विषयों में उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में 4 महिला पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है ।

मेरी सरकार द्वारा "डा० अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलांजी फार हैन्डीकैप्ड" कानपुर में प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक एवं छात्रावास सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति तथा आवागमन के लिये बस की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

प्राविधिक शिक्षा हेतु डिग्री तथा डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में छात्रों के प्रवेश के लिये निर्धारित आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है ।

## सभी के लिये स्वास्थ्य

मेरी सरकार "वर्ष 2000 ईसवी तक सभी के लिये स्वास्थ्य" की योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयासरत है ।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने हेतु "डिलीवरी सिस्टम" को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिये गत 4 माह में 7488 निरीक्षण किये गये और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों की समय से एवं पूरे समय तक उपलब्धता, उच्चतर स्वच्छता व्यवस्था, उपकरणों एवं भवनों का रख-रखाव, औषधियों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया गया।

38 निर्माणाधीन विभागीय भवनों को युद्ध स्तर पर कार्य करवाकर दिसम्बर, 1997 में पूर्ण कर लिया गया है और 90 विभागीय भवनों को मार्च, 1998 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर मोतियाबिन्द ग्रासित व्यक्तियों को दृष्टि लाभ पहुंचाने के ध्येय से प्रदेश व्यापी विशाल नेत्र शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसका द्वितीय चरण 20 जनवरी से 4 फरवरी, 1998 तक आयोजित किया जाएगा।

इसी प्रकार समाज में छिपे हुए कुष्ठ रोगियों को खोजकर उनको रोग मुक्त किये जाने हेतु जनवरी/फरवरी, 1998 में व्यापक अभियान चलाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश को पोलियो मुक्त किये जाने हेतु "पल्स पोलियो अभियान" के प्रथम चरण में 7 दिसम्बर, 1997 को 0-5 वर्ष आयु तक के 2 करोड़ 49 लाख (104 प्रतिशत) बच्चों को तथा द्वितीय चरण में दिनांक 18 जनवरी, 1998 को 2 करोड़ 68 लाख (107 प्रतिशत) बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाई गई।

शासन द्वारा प्रदेश में "यूनिवर्सिटी फार मेडिकल साइन्सेस" स्थापित करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। प्रदेश के एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेद एवं यूनानी कालेज व होम्योपैथिक कालेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने प्रस्तावित है।

## सामाजिक कल्याण और सुरक्षा

मेरी सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति/कमजोर वर्ग, विकलांग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु कटिबद्ध है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुरूप अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि दुगुनी कर दी गयी है तथा पिछड़े वर्ग हेतु भी तद्नुसार शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति के 75 लाख छात्र/छात्राओं को 357 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति इस वर्ष वितरित की जा रही है।

अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिये स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष एक लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पिछड़े वर्ग के सदस्यों को मार्जिन-मनी एवं टर्म-लोन योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 2575 लाभार्थियों को ऋण एवं अनुदान का लक्ष्य रखा गया है।

स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना में 14 हजार स्वच्छकारों को इस वर्ष सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 13 लाख वृद्धों को 125 रुपये प्रतिमाह की दर से 183 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में वितरित किये जायेंगे।

## विकलांग कल्याण

विकलांगों के कल्याण के लिये जहां पिछले वर्ष 90 हजार विकलांगों को पेन्शन दी गई थी, यह सुविधा अब इस वर्ष डेढ़ लाख विकलांगों को प्रदान की जाएगी। विगत वर्ष 16,500 विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी, इस वर्ष यह सुविधा 30,000 छात्रों को प्रदत्त की जाएगी।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं कर्मशालाओं में छात्रों को 312 रुपये प्रतिमाह की दर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति/भरण-पोषण की दर को बढ़ाकर 550 रुपये किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति हो चुकी है। शीघ्र ही इस विषय में आदेश निर्गत किया जाएगा।

## अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कक्षा 10 तक के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी कर दी गयी है। चालू वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के 29 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है।

सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक बालिकाओं के लिए बहुउद्देशीय आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गयी है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गयी है तथा चालू वर्ष में एक हजार ऐसे मदरसों को इस योजना में सम्मिलित करने का लक्ष्य है। इस प्रकार के मदरसों तथा मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर रहे, बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा।

अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा बेरोजगार युवकों को टर्म-लोन, मार्जिन-मनी-लोन तथा विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। निगम द्वारा सभी लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराकर तथा वसूली को सुनिश्चित करने के लिये ऋण वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखने के लए एक वृहद मैनुअल तैयार किया गया है। मेधावी छात्रों के लिए प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल व प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की कोचिंग की व्यवस्था की गयी है।

वक्फ एक्ट, 1995 के मन्तव्य के अनुसार वक्फ सम्पत्तियों के परिसंचालन को जनतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिये शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्डों में चुनाव करने के लिये चुनाव नियमावली, 1997 बनाकर लागू कर दी गयी है तथा शीघ्र ही दोनों बोर्डों के चुनाव कराये जायेंगे।

## महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान

महिलाओं को सम्मान का दर्जा दिया जाना हमारे प्रदेश की परम्परा रही है। कालान्तर में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका कम होती गयी और वे व्यक्तिगत और परिवारिक क्षेत्र में सिमट कर रह गई। फलस्वरूप राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समुचित भागीदारी नहीं रही जो समूह के रूप में उनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है।

चालू योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निराश्रित विधवाओं को अनुदान दिये जाने की योजना की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया और तहसील दिवस तथा किसान सेवा केन्द्र पर इनका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 91 प्रतिशत वित्तीय और 98 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

प्रदेश के 109 गृहों, जिनमें महिलाएं एवं बच्चे रखे जाते हैं, में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विधवा-पुनर्विवाह, कौशल-सुधार तथा महिला-जागृति की योजनायें चलायी जा रही हैं।

प्रदेश में 502 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से पुष्टाहार वितरित किया जा रहा है। 78 नई परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है। विभिन्न स्तरों पर जन-सहभागिता के लिये स्थानीय जन प्रतिनिधियों को इससे सम्बद्ध किया गया है।

भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक की सहायता से संचालित योजना के अन्तर्गत 15 जनपदों में 2601 महिला स्वयं सहायतित समूह बनाये जा चुके हैं जिनमें 49035 महिला सदस्य हैं, इन समूहों द्वारा वित्तीय आत्मनिर्भरता के साथ-साथ दुग्ध-उत्पादन, बकरी-पालन, परचून की दुकान, सिलाई-कढ़ाई, सब्जी-उत्पादन आदि कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। इनके संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग एवं भागीदारी सम्मिलित है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम को बिना लक्ष्य निर्धारित किये प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत केवल परिवार नियोजन पर बल देने के बजाय महिलाओं एवं बच्चों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है।

मेरी सरकार महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में समानता का दर्जा दिये जाने के लिये कटिबद्ध है। इसके लिये उठाये जाने वाले कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

★ प्रत्येक विभाग के कार्यक्रमों का इस दृष्टि से पुनरीक्षण किया जायेगा कि उनके द्वारा संचालित परियोजनायें महिलाओं पर उसके प्रभाव के प्रति संवेदनशील हों।

★ विभिन्न विकास योजनाओं के तहत ऐसी परियोजनाओं को बनाया जायेगा जिन्हें महिलाओं द्वारा संचालित किया जा सके तथा जिनसे महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचे।

★ विकास की योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

★ महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिये पुलिस बल के प्रशिक्षण में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को आवश्यक अंग बनाया जाएगा।

## श्रमिकों के हितों की सुरक्षा

मेरी सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कृत संकल्प है।

बाल मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के प्रयासों में और तेजी लाई जायेगी। यह सुनिश्चत किया जायेगा कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अवश्य हो तथा उनका शोषण कदापि न हो। संगठित क्षेत्र में श्रम विधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ रूप

मेरी सरकार प्रदेश की जनता को उचित गुणवत्ता की खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध है।

प्रत्येक जनपद एवं तहसील में उचित मूल्य की दुकानें हथियाने वाले राशन माफियाओं की पहचान और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाई के आदेश दिये गये हैं। राशन की सामग्री कालाबाजारी में बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाई करने के साथ-साथ ब्लैक में माल खरीदने वालों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्यवाई करने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य सामग्री राशन की दुकानों तक पहुंच जाए, यह सुनिश्चित करने के लिये त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में गोदामों पर सामग्री पहुंचने का सत्यापन, थोक विक्रेता के यहां से राशन की दुकान द्वारा सामान उठाये जाने का सत्यापन तथा राशन की दुकान पर सामान पहुंचने का सत्यापन किया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा खाद, बीज, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री तथा औषधियों आदि महत्वपूर्ण उपभोग की वस्तुओं में मिलावट रोकने हेतु नई व प्रभावी व्यवस्था की जा रही है।

## व्यापारी वर्ग के उत्पीड़न को समाप्त करने हेतु ठोस निर्णय

मेरी सरकार का यह दृढ़ मत है कि जहां एक ओर यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हों वहीं दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि दुकानदारों, व्यवसायियों तथा व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। इस संदर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसकी अवधि अगस्त, 1997 में समाप्त हुई, के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था वांछित थी जिसमें उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ विधान के दुरुपयोग को रोकने और दुकानदारों, व्यवसायियों तथा व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न समाप्त करने के समुचित प्राविधान भी रखे जाते किन्तु भारत सरकार द्वारा इस विषय पर समीक्षा करने के बजाय अक्टूबर, 1997 में अध्यादेश जारी करके आवश्यक वस्तु अधिनियम की अवधि को अस्थाई रूप से बढ़ा दिया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमों की समीक्षा की जाय तो विदित होगा कि मुकदमों में सजा (Conviction) का प्रतिशत नगण्य है इससे यह स्पष्ट होता है कि दर्ज किये गये मुकदमों की गुणवत्ता निम्न कोटि की रही है तथा पुख्ता साक्ष्यों का अभाव रहा है। इससे इस बात की पूरी सम्भावना लगती है कि अधिनियम का दुरुपयोग और दुकानदार, व्यवसायी तथा व्यापारी का उत्पीड़न हुआ है।

मेरी सरकार द्वारा भारत के प्रधान मंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्राविधानों की गहन समीक्षा की जाये और अधिनियम के पिछले लगभग 40 वर्षों के अनुभवों के विश्लेषण के साथ-साथ वे कारण भी ज्ञात किये जायें जिनकी वजह से इस कानून के अन्तर्गत दर्ज किये गये मुकदमों में सजा (Conviction) का प्रतिशत नगण्य रहा है। तत्पश्चात् ऐसी व्यवस्था प्रतिपादित की जाये जिससे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ-साथ इस कानून के दुरुपयोग की सम्भावना भी न रहे।

मेरी सरकार द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया गया है कि उपर्युक्त संदर्भ के समुचित निस्तारण होने तक आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अध्यादेश, 1997 की धारा 3 व 7 के अन्तर्गत कार्यवाई स्थगित रखी जाये।

मेरी सरकार द्वारा व्यापारियों की सुविधाओं के लिये मण्डी शुल्क को वसूल किये जाने हेतु बहु-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर एकल स्तरीय प्रणाली को लागू करने के समस्त पहलुओं पर विचार करके शीघ्र निर्णय लिया जायेगा, जिससे व्यापारियों को सुविधा मिल सके, शुल्क अपवंचन रोका जा सके और राजस्व में भी वृद्धि हो।

## राजस्व प्रशासन में सुधार

माह अक्टूबर-नवम्बर, 1997 में अभियान चलाकर 3,20,400 अविवादित विरासत के मामलों को दर्ज किया गया। इस प्रकार 65,531 अविवादित दाखिल खारिज के मामलों का निस्तारण किया गया। विशेष अभियान चलाकर 2 करोड़ 5 लाख किसान बहियों का वितरण कराया गया। 1 लाख 52 हजार

पात्र व्यक्तियों को 1 लाख 25 हजार एकड़ भूमि का आवंटन किया गया । कुम्हारी कला हेतु 3057 स्थल तथा मछुआ समुदाय को मत्स्य पालन हेतु 4130 हेक्टेयर तालाबी क्षेत्र के पट्टे किये गये ।

शासन द्वारा दाखिल खारिज के मामलों के निस्तारण हेतु शीघ्र ही एक नई व्यवस्था प्रतिपादित की जाएगी जिससे इन मामलों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके ।

शासन द्वारा आवंटित की गयी भूमि के पट्टेदारों का कब्जा सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए नवीन व्यवस्था शीघ्र बनाई जाएगी ।

शासन द्वारा प्रदेश में चकरोडों को "अतिक्रमण-मुक्त" करने और वहां समुचित सेवा मार्गों के विकास के लिए शीघ्र अभियान चलाया जाएगा ।

## न्याय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है । अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से 50 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय, 8 नव-सृजित जिलों में कुल 40 नये न्यायालय तथा 46 जिलों में 74 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय सृजित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन प्रदेश के 20 जनपदों में अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 20 विशेष न्यायालय सृजित किये गये हैं ।

## परिवहन व्यवस्था में सुधार

मेरी सरकार परिवहन सेवाओं के विस्तार और सेवाओं में सुधार हेतु व्यापक उपाय करेगी ।

महानगरों में यातायात में सुधार हेतु विस्तृत सर्वे और अध्ययन कराया जा रहा है । बड़े नगरों में निजी क्षेत्र में "सिटी बस" संचालित किये जाने पर भी विचार किया जायेगा । "उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन शोध एवं नियोजन" संस्थान की स्थापना की गयी है । "बस टर्मिनल ऑथोरिटी" की स्थापना हेतु परियोजना तैयार करायी जा रही है ।

## वन-विकास

मेरी सरकार का मानना है कि पर्यावरण तथा परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने में वनों के संरक्षण तथा विकास का महत्वपूर्ण योगदान है ।

अवैध कटान, अवैध शिकार, वन अग्नि दुर्घटनाओं तथा वन माफिया की समस्या के निवारण हेतु प्रदेश के 24 संवेदनशील वन प्रभागों में सशस्त्र बल तैनात कर संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की जा रही है ।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ट्राइसम योजना में नर्सरी ट्रेनिंग (पौध शाला प्रशिक्षण) प्राप्त 100 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात् इसी वित्तीय वर्ष में प्रदेश के लगभग 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा । प्रदेश के 100 ग्रामों में वन चेतना पार्क एवं चिल्ड्रेन पार्क की स्थापना की जाएगी ।

वनों के संरक्षण तथा समग्र विकास के लिये उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 271 करोड़ रुपये की "उत्तर प्रदेश वानिकी योजना" 1 फरवरी, 1998 से लागू हो जाएगी इसके अन्तर्गत प्राकृतिक वनों के संरक्षण तथा विकास कार्यों में आम जनता की भागीदारी एक प्रमुख घटक रखा गया है।

## उत्तरांचल विकास

मेरी सरकार का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल की विशेष समस्याओं के निदान और उत्तरांचल के विकास हेतु अलग उत्तरांचल राज्य आवश्यक है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की जन आकांक्षाओं के अनुरूप मेरी सरकार पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना हेतु कृत संकल्प है। इस संबंध में श्री कल्याण सिंह की तत्कालीन सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1991 को संकल्प पारित कर केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था। उसके बाद की सरकारों ने भी तद्नुसार प्रस्ताव भेजे हैं। भारत सरकार द्वारा अग्रेतर कार्यवाई प्रतीक्षित है। मेरी सरकार इस विषय का सतत् अनुश्रवण कर शीघ्र ही पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना सुनिश्चित करेगी।

सभी विभागों में समूह 'क' के पदों को सम्मिलित करते हुए पर्वतीय उपसंवर्ग का निर्धारण अनिवार्य कर दिया गया है तथा नोडल अधिकारियों को विभागाध्यक्ष के अधिकार दिये जाने एवं उनकी उत्तरांचल में ही उपलब्धि सुनिश्चित की जा रही है।

मेरी सरकार द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र में प्रमुख अवस्थापना सुविधाओं, यथा पेयजल, मार्ग एवं पुल, विद्युत एवं वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योगों और पर्यटन के विकास तथा सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ पारेषण लाइन तथा पिथौरागढ़ में 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की जा रही है।

कुमायूं क्षेत्र की झीलों के विकास के लिये 8 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना कार्यान्वित की जा रही है और नैनीताल झील के विकास के लिये 42 करोड़ रुपये की लागत की योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है।

अल्मोड़ा, हल्द्वानी तथा पिथौरागढ़ की पेयजल योजनाओं हेतु 15.13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है तथा पौड़ी के लिए 9.3 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उत्तरांचल में 900 कि.मी० मोटर मार्ग तथा 95 पुलों की स्वीकृतियां जारी की जा रही है। 100 नई रोडवेज बसों की व्यवस्था भी की जा रही है।

उत्तरांचल क्षेत्र के 69 हाईस्कूलों को इण्टरमीडिएट स्तर पर तथा 94 जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत किया गया है।

उत्तरांचल में विभिन्न विभागों की रिक्तियों को शीघ्र भरे जाने के आदेश दिये गये हैं।

## विकास हेतु वित्तीय संसाधन

वर्ष 1997-98 में प्रदेश की वार्षिक योजना में 7163 करोड़ रुपये का परिव्यय है। वर्ष 1998-99 में वार्षिक योजना हेतु 9000 करोड़ रुपये से अधिक का परिव्यय प्रस्तावित है जो गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश की नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है और इस उद्देश्य हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर योजना का कुल परिव्यय 46340 करोड़ रुपये है। यह परिव्यय आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय से 110 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश सरकार बजट के साधनों के अतिरिक्त वाह्य सहायता के माध्यम से विकास कार्यों हेतु अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतया प्रयासरत है। नवीं पंचवर्षीय योजना में बाह्य सहायता का लक्ष्य 10 हजार करोड़ रुपया रखा गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग

40 हजार करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं तैयार कर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी ।

मेरी सरकार विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिये सजग है और इस उद्देश्य हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में अनेक उपाय किये जायेंगे ।

## हरिद्वार कुम्भ मेले में व्यापक प्रबन्ध

कुम्भ मेला 1998 में शासन द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है, जिससे वहां आने वाले लगभग एक करोड़ तीर्थ यात्रियों को पूर्ण सुविधाएं मिल सकें और वे सुरक्षित एवं मधुर स्मृति के साथ मेले से सन्तुष्ट होकर लौटें ।

इस कुम्भ मेले में 61 करोड़ रुपये की स्थाई परिसम्पत्तियां सृजित की जा रही हैं, जिनमें 4 स्थायी पुल, 240 किलोमीटर सड़क, 1200 मीटर नये पक्के घाट, 20 ट्यूबवेल, 14 किलोमीटर सीवर लाईन तथा 4 विद्युत उपकेन्द्र सम्मिलित हैं ।

सफाई एवं स्वास्थ्य के संबंध में व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं और मेला मक्खी-मच्छर विहीन हो यह सुनिश्चित किया जाएगा ।

मेला के मुख्य स्नान पर्वों पर वी० आई० पी० का आगमन न हो, इसके लिये केन्द्र व राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । 1992 के कुम्भ मेले में भी केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया गया था, जिसके लिये मेरी सरकार उनका आभार प्रकट करती है ।

मेले की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबन्ध की व्यापक व्यवस्था की गयी है और इसके लिये "मिनट प्रति मिनट" का विस्तृत प्लान बनाया गया है ।

कुम्भ मेले के कार्यों की उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है । किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है और जहां गुणवत्ता में कमी पायी गयी है, उन मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई की गयी है । गुणवत्ता में पायी जाने वाली शिकायतों की जांच रुड़की विश्वविद्यालय की टीम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों और कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है । विधान मण्डल के इस सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिये प्रथम अनुपूरक मांगें भी प्रस्तुत की जायेंगी, जिनको और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को पारित किये जाने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । पिछले सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश भी प्रख्यापित किये हैं जिनके प्रतिस्थानी विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे । कुछ नये विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

अपना अभिभाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि लोकतंत्र का भविष्य कुछ हद तक इस बात पर निर्भर है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर आपका आचरण कैसा है । मुझे आशा है कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता बनाये रखेंगे ।]

"मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप देश एवं प्रदेश के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे और आपके विचार विमर्श में गम्भीरता, निःस्वार्थ सेवा तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा प्रमुख रूप से परिलक्षित होगी । इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं । जयहिन्द ।"

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, जब राज्यपाल जी ने अभिभाषण को पढ़ा ही नहीं और न ही कारण बताये हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, न यह प्रस्तुत हुआ है और न ही पढ़ा गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस बात की जानकारी है कि पूर्व में भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की शुरू और अन्तिम पंक्ति पढ़ी गई है और उसे पढ़ा हुआ माना गया है।

**उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1997**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1997**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1997**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश 1997 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1998**

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश 1998 को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 में किये गये त्रुटियों के संशोधनों का विवरण**

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 में किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अंतर्गत किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण :–

1–विधेयक के खण्ड 26 के, उपखण्ड (1) के परन्तुक की प्रथम पंक्ति में शब्द "की कोई बात से ऐसा" के स्थान पर शब्द "की किसी बात से कोई ऐसा"

2–विधेयक की प्रथम अनुसूची, भाग "घ" में (पृष्ठ 16) स्पष्टीकरण (दो) के प्रथम पंक्ति में, शब्द "यात्रियों को सवारी" के स्थान पर शब्द "यात्रियों के सवारी", तथा

3–विधेयक की प्रथम अनुसूची, भाग "घ" में (पृष्ठ 16) स्पष्टीकरण (तीन) की प्रथम पंक्ति में, शब्द "वाले जिसके" के स्थान पर शब्द "वाले यान जिसके," रख दिया गया है।

**उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक, 1997**

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान काराधान विधेयक, 1997 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश से दिनांक 13 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 6 दिसम्बर, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

**श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय**

श्री अध्यक्ष–

मुझे एक निर्णय की सूचना देनी है।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ) द्वारा श्री हबीब खान, जिला प्रबन्धक लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम तथा श्री अविनाश कुमार, अनुभाग अधिकारी, खाद्य एवं रसद अनुभाग–8 उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध अभिसूचित सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 11 अगस्त, 1997 जो सदन की कार्यवाही प्रभावित करने के कृत्यों इत्यादि के संबंध में है, जो जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु में सदन की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं।

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 जनवरी, 1998 की बैठक में सदन के दिनांक 27 जनवरी, 1998 से 29 जनवरी, 1998 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की हैं :–

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सीमित करके दो दिन अर्थात् दिनांक 28 जनवरी, व 29 जनवरी, 1998 तक समाप्त कर दी जाय और सदन की बैठक 2 फरवरी, 1998 को न रखी जाय।

2–सदन का दिनांक 27 जनवरी, 1998 से 29 जनवरी, 1998 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जनवरी, 1998

27 मंगलवार

1–11.00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण ।

2–12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना ।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन, आदि यदि कोई हो ।

3–1.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

28 बुधवार

1–निधन के निर्देश (प्रश्न काल के उपरान्त) ।

2–विधायी कार्य ।

3–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

4–4.00 बजे अपराह्न से

वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

29 गुरुवार

1–विधायी कार्य ।

2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

3–दिनांक 28 व 29 जनवरी, 1998 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है,–से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आज सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**श्री हरी किशन द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिए जाने की सूचना**

श्री अध्यक्ष–

मुझे सदन को एक और सूचना देनी है।

श्री हरी किशन, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या–298, चौबेपुर, जिला कानपुर देहात ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 25 जनवरी, 1998 के अपराह्न से अपना त्याग-पत्र दिया है जिसे मैंने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 190 के खण्ड (3) (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 279 के अन्तर्गत उक्त दिनांक एवं समय से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधान सभा में उक्त श्री हरी किशन का उक्त स्थान दिनांक 25 जनवरी, 1998 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998†**

पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय एवं स्टाम्प शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998†**

पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय एवं स्टाम्प शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 †**

पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय एवं स्टाम्प शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

नोट :–† दिनांक 31 जनवरी, 1998 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 †**

पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय एवं स्टाम्प शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 †**

पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय एवं स्टाम्प शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

**उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 †**

पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय एवं स्टाम्प शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

नोट :–† दिनांक 31 जनवरी, 1998 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

**वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष–

आज 1.00 बजे अपराह्न में माननीय मुख्य मंत्री जी को वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करना है इसलिये मैं सदन की कार्यवाही को 12.59 बजे (अपराह्न) तक स्थगित करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों को इसी समय प्रस्तुत करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इसके लिए एक प्रस्ताव ले आयें।

पंजीयन, मनोरंजन कर, न्यायालय एवं स्टाम्प शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नियमों का निलम्बन करते हुए मद संख्या–26 को तत्काल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण 1.00 बजे के स्थान पर अभी ही प्रस्तुत करा लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के मांगों का विवरण**

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

अब हम उठते हैं। कल दिनांक 28 जनवरी, 1998 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन 12 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ :
27 जनवरी, 1998

**प्रेम चन्द्र सक्सेना,**
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०–एल० 501 विधान सभा (951)–1998–813 (डी० टी० पी०)।